▸▸ कृषि ▸▸ विश्लेषण ▸▸ जल प्रबंधन

कुल पृष्ठः 40

स्वदेशी पत्रिका

मूल्य 15/–रू.

भाद्रपद–अश्विन 2079, सितंबर 2022

राजनीति और अर्थव्यवस्था में घुन है

मुफ्तखोरी

स्वदेशी गतिविधियां

उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलन

(Entrepreneurship Encouragement Conferences)

सचित्र झलक

गुरुग्राम, हरियाणा

बरेली, उ.प्र.

पुरी, ओडिशा

अलवर, राजस्थान

बुलंदशहर, उ.प्र.

उत्तरी विभाग, दिल्ली

राउरकेला, ओड़िशा

कोलकत्ता, वेस्ट बंगाल

ब्रह्मपुर, ओड़िशा

लक्शर, उत्तराखंड

स्वदेशी पत्रिका

वर्ष–30, अंक–9

भाद्रपद–अश्विन 2079 सितंबर 2022

संपादक

अजेय भारती

सह–संपादक

अनिल तिवारी

पृष्ठ सज्जा एवं टंकन

सुदामा दीक्षित

कार्यालय

धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

से प्रकाशित

दूरभाष : 011–26184595

स्वदेशी जागरण समिति की ओर से डॉ. अश्वनी महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

पाठकनामा/उन्होंने कहा **4**

समाचार परिक्रमा **35-38**

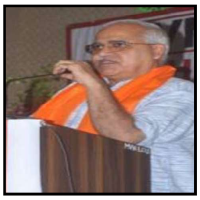

तृतीय मुख्य पृष्ठ **39**

चतुर्थ मुख्य पृष्ठ **40**

अ नु क्र म

आवरण कथा – पृष्ठ–06

राजनीति और अर्थव्यवस्था में घुन है मुफ्तखोरी

डॉ. अश्वनी महाजन

1 मुख्य पृष्ठ

2 द्वितीय मुख्य पृष्ठ

08 आवरण कथा
आत्मनिर्भर भारत बनाम मुफ्त राजनीति
.... डॉ. युवराज कुमार

10 आजकल
'जय–अनुसंधान': आत्मनिर्भरता का सुघर सारथी
.... अनिल तिवारी

12 विचार
धर्मनिरपेक्षता की पुनर्कल्पना
.... के.के. श्रीवास्तव

14 महिला
कामकाजी महिला शक्ति
.... डॉ. जया कक्कड़

16 बैंकिंग
सरकारी बैंकों के निजीकरण की नीति गलत
.... अनिल जवलेकर

18 अर्थव्यवस्था
जीडीपी वृद्धि दुनिया में सबसे ज्यादा
.... विक्रम उपाध्याय

20 मुद्दा
क्या सही होगा डिजिटल लेनदेन पर शुल्क?
.... स्वदेशी संवाद

22 तकनीकी
डिजिटल पेमेंट में विदेशी वर्चस्व, भारत के लिए खतरे की घंटी
.... मुनि शंकर पाण्डेय

24 आर्थिकी
महंगाई में नरमी, अब नौकरी और ग्रोथ बढ़ाने पर जोर
.... स्वदेशी संवाद

26 कृषि
कृषिः आत्मनिर्भरता से बस कुछ ही दूर...
.... देविन्दर शर्मा

28 जल प्रबंधन
राजनीति के मकड़जाल में उलझे नदी जल विवाद
.... डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्र

30 शहादत को नमन
उत्तर पूर्व भारत के गुमनाम शहीद (भाग–1)
.... विनोद जौहरी

33 शिक्षक दिवस
नवाचार और लीक से हटकर सिखाने की प्रेरणा है 'शिक्षक'
.... डॉ. पवन सिंह

पाठकनामा

कब और कैसे होंगी सड़कें सुरक्षित

देश के जाने माने उद्योगपति और टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की पिछले दिनों सड़क हादसे में हुई मौत के बाद देश के यातायात से जुड़ा सारा सरकारी अमला जमला सुरक्षा के विभिन्न उपायों पर बढ़–चढ़कर चर्चा कर रहा है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2021 में देश भर में 1.55 लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए। मतलब कि रोज 426 और हर घंटे में 18 लोग मौत की भेंट चढ़े, हर लिहाज से यह संख्या बहुत अधिक है।

साइरस मिस्त्री की मौत के बाद यातायात विशेषज्ञों ने कहा कि अगर वे सीट बेल्ट बांधे होते तो संभव था कि उनकी जान बच जाती। गौरतलब है कि सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 138 (3) में कहा गया है कि पिछली सीट पर बिना सीट बेल्ट लगाए यात्रा करने पर 1000 रू. जुर्माना लगाया जाएगा, मगर इस कानून पर अमल होता नहीं दिखता। बाइक या स्कूटर चलाते समय हेलमेट लगाना अनिवार्य है, उसी तरह कार में भी ड्राइवर और हर यात्री के लिए सीट बेल्ट बांधना जरूरी होता है। ड्राइवर और फ्रंट सीट पैसेंजर के लिए सीट बेल्ट बांधना 1993 में अनिवार्य किया गया था इसके बाद सरकार ने अक्टूबर 2002 से पिछली सीट के यात्रियों के लिए भी सीट बेल्ट बांधना अनिवार्य कर दिया था।

साइरस मिस्त्री की मौत के बाद सड़क के डिजाइन और उसके रखरखाव को लेकर भी चर्चा हुई। हमारे देश में केवल और केवल आम जनता की जेब ढीली की जाती है, सरकार की ओर से अपेक्षित सुविधाएं नहीं मिल पाती। यह विडंबना है कि एक आम नागरिक जब गाड़ी खरीदता है तो लाइफ टाइम रोड टैक्स जमा करा लिया जाता है, इसके बावजूद आज जब वह सड़क पर निकलता है तो हर 10, 15, 20 किमी. पर उससे टोल टैक्स के नाम पर सड़क का टैक्स वसूला जाता है। सड़क बीच–बीच में टूटी होती है जो हादसे को न्यौता देती है।

अब सरकार ने कहा है कि 2024 तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों की संख्या कम करने पर गंभीरता से काम किया जाएगा। सरकार अगर कोई लक्ष्य लेकर चल रही है तो यह अच्छी बात है लेकिन इसे संभव बनाने के लिए लोगों में जागरूकता, मोटर वाहनों के सुरक्षा उपायों के अलावा सड़कों को सुधारने पर भी गंभीरता से काम करना होगा।

डॉ. अभिषेक सिंह

साहयक प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, देशबंधु कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

''धर्मक्षेत्र'' शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेल:

swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 150 रुपए

आजीवन सदस्यता शुल्क: 15,00 रुपए

यदि शुल्क जमा करने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740

IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

कहा–अनकहा

आईएनएस विक्रांत सिर्फ एक युद्धपोत नहीं है, यह 21वीं सदी के भारत की प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। आज भारत उन देशों में शामिल हो गया है जो स्वदेशी तकनीक से ऐसे बड़े विमानवाहक पोत बनाते हैं।

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री, भारत

निर्माण में समय सबसे महत्वपूर्ण चीज है। समय सबसे बड़ी पूंजी है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि सरकार समय पर निर्णय नहीं ले रही है।

नितिन गड़करी, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, भारत

भारतीय व्यापार और वाणिज्य अमृत काल में विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में भारत की समृद्धि की यात्रा में न केवल एक मजबूत तत्व होगा, बल्कि पूरी दुनिया की जरूरतों को पूरा करने में भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

पीयूष गोयल, केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री, भारत

मुफ्तखोरी की राजनीति देश की अर्थव्यवस्था और शासन व्यवस्था दोनों के लिए अमंगलकारी है, जिसे आम सहमति से रोकने की जरूरत है।

डॉ. अश्वनी महाजन, राष्ट्रीय सहसंयोजक, स्वदेशी जागरण मंच

संपादकीय

दुनिया में मंदी - भारत में तेजी

इंग्लैंड को पछाड़ते हुए भारत हाल ही में दुनिया की पाँचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष ने अपनी हालिया रिपोर्ट *'विश्व आर्थिक दृश्य : धूमिल और अनिश्चित'* 2022–23 के लिए भारत के जीडीपी ग्रोथ के अनुमानों में 0.8 प्रतिशत घटाकर 7.4 प्रतिशत कर दिया है, लेकिन यह भी कहा है कि दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं अमरीका और चीन की तुलना में भारत तेजी से ग्रोथ करेगा। यानि भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगा। लगातार बढ़ती मंहगाई और मंदी के चलते अमरीका और चीन की अर्थव्यवस्थाओं में ग्रोथ घटने की बात की गई है और साथ ही यह भी कहा गया है कि परिस्थिति उससे भी अधिक विकट हो सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि महामारी के बाद अर्थव्यवस्थाओं में तेजी की संभावनाएं बन रही थी, लेकिन कई नए संकटों के चलते आर्थिक स्थिति विकट होती जा रही है और जोखिम बढ़ रहे हैं। महामारी के सकटों से उबरती दुनिया के समक्ष नई चुनौतियां आ रही है, जिसमें रूस–यूक्रेन युद्ध के कारण तेल और खाद्य पदार्थों की कमी और महंगाई प्रमुख हैं। इसके कारण दुनिया भर के केंद्रीय बैंक ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं, जो ग्रोथ के लिए हानिकारक सिद्ध होगा। जहां चीन में लॉकडाउन के कारण दुनिया भर में आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाई चेन) प्रभावित हो रही है, उधर अमरीका में वर्ष के पहले कालखंड में धीमी ग्रोथ, गृहस्थों की आमदनी में कमी और संकुचित मौद्रिक नीति के चलते मांग और ग्रोथ में कमी परिकलित की गई है। आईएमएफ के अनुसार दुनिया की ग्रोथ 2022 में 3.2 प्रतिशत और 2023 में 2.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है। यह ग्रोथ की दर पूर्व के अनुमानों से क्रमशः 0.4 और 0.7 प्रतिशत कम है।

एक ओर जहां वैश्विक ग्रोथ के अनुमान घट रहे हैं, अमरीकी जीडीपी पिछले कुछ महीनों से सिकुड़ती जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां विश्व में मंदी की चेतावनी दे रही है, वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी हुई है। केन्द्रीय सांख्यिकी संस्थान के हालिया अनुमानों के अनुसार पिछली तिमाही में जीडीपी की ग्रोथ 13.5 प्रतिशत रिकार्ड की गई।हालांकि भारत में विपक्षी दल और सरकार के अन्य आलोचक, मंहगाई और रूपये के अवमूल्यन पर सरकार को घेरने की कोशिश में है। लेकिन समझना होगा कि भारत में महंगाई अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कहीं कम है। अमरीका और यूरोप के कई देश, जिन्होंने बीते दशकों में मंहगाई का सामना नहीं किया था, अब मंहगाई का भारी दंश झेल रहे हैं। अमरीका में मंहगाई की दर 9.1 प्रतिशत और इंग्लैंड में यह 9.4 प्रतिशत पहुंच चुकी है, जबकि भारत में यह 7.0 प्रतिशत ही है। इसी तरह, हालांकि, पिछले पांच महीनों में डॉलर के मुकाबले रुपये में 5.41 प्रतिशत की गिरावट आई है, इस बीच, पाउंड स्टर्लिंग में रुपये के मुकाबले 4.87 प्रतिशत, जापानी येन में 6.10 प्रतिशत और यूरो में 4.97 प्रतिशत की गिरावट आई है। यानी डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हुआ है, लेकिन अन्य मुद्राओं के मुकाबले मजबूत हुआ है। पाउंड स्टर्लिंग, जो 30 मार्च 2022 को 99.46 रुपये था, अब (30 अगस्त 2022 तक) 94.61 रुपये है; 100 जापानी येन की कीमत 62.24 रुपये थी अब यह केवल 58.44 रुपये है इसी तरह, यूरो जो कि 84.24 रुपये था, अब 80.00 रुपये के बराबर है। यानि चाहे मंहगाई की बात कहें या करैंसी के अवमूल्यन की, भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन कर रही है।

अर्थव्यवस्था के दो प्रमुख क्षेत्रों सेवाओं और मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ में सुधार का मापदंड होता है परचेजिंग मैनेजरस् इन्डेक्स (पीएमआई)। स्टैण्डर्ड एंड पुअरस् की गणना के अनुसार जून में पीएमआई इन्डेक्स 59.2 तक पहुंच गया, जो अप्रैल 2011 से अभी तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन है। हालांकि जुलाई में इसमें हल्की कमी दिखाई दी है, लेकिन इसके बावजूद माना जा सकता है कि भारत का सेवा क्षेत्र अत्यंत बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। जहां तक मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का सवाल है, यह पीएमआई इन्डेक्स जून में 53.9 से बढ़ता हुआ जुलाई में 56.4 तक पहुंच गया है। एजेंसी सर्वे यह कहता है कि भारी मात्रा में विदेशी निवेशकों के पलायन, बढ़ती ब्याज दरों, कमजोर होते रूपए और वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी सरीखी तमाम प्रतिकूल स्थितियों के बावजूद नवंबर से लगातार मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र बेहतर प्रदर्शन कर रहा है।

मैन्युफैक्चरिंग हो अथवा सेवा क्षेत्र, सभी तेज ग्रोथ की ओर इंगित कर रहे हैं। इस बात की पुष्टि जीएसटी की प्राप्तियों के आंकड़ों से हो रही है। डालर के मुकाबले रूपया थोड़ा कमजोर तो हुआ है, लेकिन यह पूर्व की भांति नहीं है क्योंकि पूर्व में सामान्यतः जब भी भारतीय कैरेंसी कमजोर हुई, वह विश्व की सभी मुख्य कैरेंसियों के मुकाबले भी कमजोर होती थी। लेकिन 5 महीनों में रूपया, पाउंड, यूरो और येन, सभी के मुकाबले मजबूत हुआ है। डालर की रूपए और सभी मुख्य कैरेंसियों के मुकाबले मजबूती अमरीका में ब्याज दरों की वृद्धि और वैश्विक उथल–पुथल है, इसलिए यह मजबूती अल्पकालिक मानी जा रही है। लेकिन भारत के नीति–निर्माताओं की मुख्य चिंता यहां की महंगाई है। पिछले काफी लंबे समय से भारत में मुद्रास्फीति 3 से 4 प्रतिशत के बीच काफी निचले स्तर पर बनी हुई थी। लेकिन पिछले कुछ समय से मुद्रास्फीति 7 प्रतिशत तक पहुंच गई है। ऊंची मुद्रास्फीति के चलते रिजर्व बैंक को नीतिगत ब्याज दरों को बढ़ाना पड़ रहा है, जिसका असर ग्रोथ पर भी पड़ सकता है। ऐसे में सरकार को मुद्रास्फीति रोकने हेतु ठोस प्रयास करने होंगे। रूस और ईरान से सस्ते दामों पर कच्चे तेल की खरीद, देश में बढ़ता कृषि उत्पादन, सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर टैक्स में कमी समेत कई सराहनीय प्रयास हुए हैं। इन सब प्रयासों के कारण भारत में मुद्रास्फीति की दर अमरीका और इंग्लैंड की तुलना में कहीं कम है।

वैश्विक स्तर पर खाद्य मुद्रास्फीति, ईंधन की कीमतों में वृद्धि और आवश्यक कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि का सामना करना पड़ रहा है। भारत भी कुछ हद तक उससे प्रभावित हो रहा है। लेकिन बढ़ते कर राजस्व और उसके कारण शेष दुनिया की तुलना में राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण के द्वारा मुद्रास्फीति को थामने का प्रयास चल रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि भारत मुद्रास्फीति पर नियंत्रण कर पाएगा तो आत्मनिर्भर भारत के प्रयासों को फलीभूत करते हुए देश के विविध क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देते हुए हम अपनी जीडीपी और रोजगार दोनों बढ़ा सकेंगे।

राजनीति और अर्थव्यवस्था में घुन है मुफ्तखोरी

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की सरकारों द्वारा विकास, गरीबी निवारण, बेहतर सामाजिक सेवाओं, पेयजल, सड़क, रेल निर्माण आदि पर जोर रहा। लेकिन अब कुछ राजनीतिक दल मुफ्त बिजली, पानी, यातायात, मुफ्त टेलीविजन और यहां तक कि मंगलसूत्र तक देने के वादे करने लगे हैं और सरकार की खराब आर्थिक स्थिति और बढ़ते कर्जों के बावजूद उन वादों को कार्यान्वित करने के दुष्परिणाम भी सामने आने लगे हैं।

गौरतलब है कि दिल्ली प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से, गोवा के बाद देश दूसरा सबसे समृद्ध प्रांत है। इसके चलते दिल्ली का राजस्व भी काफी अधिक होता है। दिल्ली में बड़ी संख्या में प्रवासी भी रहते हैं, जो रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों से आकर दिल्ली में बसे हुए हैं। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, जिसका अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि महामारी के कारण लॉकडाउन लगते ही बड़ी संख्या में तुरंत अपने घरों की ओर रवाना हो गए थे। बड़ी संख्या में पैदल, साइकिल पर अथवा बसों में मात्र एक झोले के साथ जाने के दृश्य आज भी मन को द्रवित करने वाले हैं। अधिकांश प्रवासी मजदूर दिहाड़ीदार हैं, अथवा छोटा–मोटा व्यवसाय करने वाले प्रवासी हैं। एक ही कमरे में बड़ी संख्या में वे रहते हैं, जहां मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव होता है। ऐसे में अधिकांशतः उनके परिवारों के आने का तो सवाल ही नहीं होता।

दिल्ली में ऐसे प्रवासी मजदूरों की संख्या 20 लाख से कम नहीं। जो मजदूर अपने परिवारों को साथ ले आते हैं, वे भी अत्यंत दयनीय अवस्था में दिल्ली में रह रहे हैं। उनके और उनके परिवारों के लिए स्कूल, कालेज एवं अन्य शिक्षा संस्थानों की जरूरत है। साथ ही साथ बेहतर जल–मल व्यवस्था और बड़ी संख्या में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं की भी दरकार है। उनकी आवाजाही के लिए सड़कों, पुलों, आदि की भी आवश्यकता है। लेकिन इन सब कार्यों के लिए भारी खर्चे की जरूरत होती है। देखा जा रहा है कि खर्च के अभाव में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार विकास और रखरखाव के लिए भी धन जुटा नहीं पा रही है।

मुख्यमंत्री केजरीवाल द्वारा 2015 में सत्ता संभालने के बाद आज तक दिल्ली सरकार कोई नया स्कूल, कालेज, अस्पताल, फ्लाईओवर आदि बना नहीं पाई। ऐसे में गरीब की दुर्दशा का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। सड़कों, जल–मल व्यवस्था की ठीक प्रकार से देखभाल भी नहीं हो पा रही। इसके लिए धनाभाव मुख्य कारण है। ऐसा नहीं है

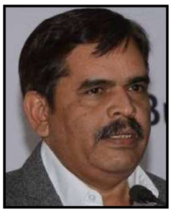

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मुफ्तखोरी के लालच पर प्रश्नचिन्ह लगाने के बाद आप जैसे राजनैतिक दल मुफ्त बिजली–पानी को औचित्यपूर्ण ठहराने की कोशिश कर रहे हैं।

– डॉ. अश्वनी महाजन

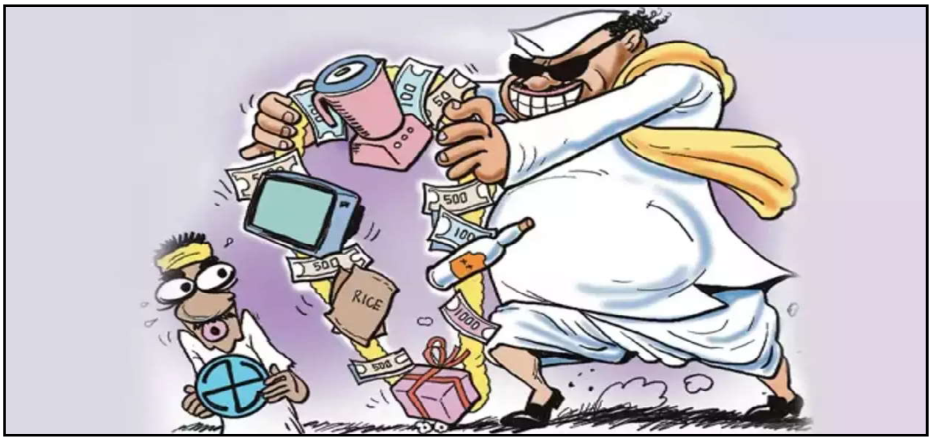

कि दिल्ली का राजस्व कम है, वास्तव में दिल्ली में प्रति व्यक्ति राजस्व शेष भारत से काफी अधिक है और लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन उस राजस्व को मुफ्त बिजली, पानी और यातायात में खर्च कर देने के कारण आवश्यक नागरिक सुविधाओं हेतु धनाभाव होता जा रहा है।

कितना राजस्व–कितनी मुफ्तखोरी

2021–22 के लिए दिल्ली का कुल राजस्व 53070 करोड़ रुपए अनुमानित है। जो सभी राज्यों के राजस्व का 3 प्रतिशत है। 2019–20 में यह 47136 करोड रुपए था और 2015–16 में यह मात्र मात्र 34996 करोड रुपए ही था। लेकिन इस बढ़ते राजस्व के साथ–साथ दिल्ली सरकार का मुफ्त बिजली, पानी, यातायात पर खर्च भी बढ़ता गया। मुफ्त बिजली पर खर्च वर्ष 2015–16 में 1639 करोड रुपए था जो बढ़ता हुआ 2016–17 में 1807 करोड़ रुपए, 2017–18 में 1736 करोड़ रुपए, 2019–20 में 2423 करोड रुपए, 2020–21 में 2846 करोड़ रूपये और 2021–22 में 2968 करोड़ रुपए पहुंच गया है। वर्ष 2022–23 के लिए विद्युत विभाग ने दिल्ली सरकार से इस बिजली सब्सिडी हेतु 3200 करोड़ रूपये की मांग की है। यानि समझा जा सकता है कि दिल्ली सरकार द्वारा बिजली मुफ्त करने के नाम पर बजट पर बोझ बढ़ता जा रहा है और 2015–16 से लगभग दोगुना होता हुआ 2022–23 में यह 3200 करोड़ रूपये तक पहुंच चुका है।

पानी के बिलों को शून्य करने की कवायद में दिल्ली जल बोर्ड का घाटा और कर्ज दोनों बढ़ रहे हैं। केजरीवाल सरकार के पहले तीन साल में दिल्ली जल बोर्ड का घाटा 2015–16 में 220.19 करोड़ से बढ़ता हुआ 2018–19 में 663 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका था। 'कैग' की रपट के अनुसार 1998–99 में जहां 26620 करोड़ रुपए दिल्ली जल बोर्ड को उधार दिए गए थे जिनमें से अभी तक मात्र 351 करोड रुपए ही वापस लौटाये गए थे और 31 मार्च 2018 तक 26269 करोड़ रुपए ऋण बकाया था। इस बीच दिल्ली सरकार ने पिछले 5 वर्षों में दिल्ली जल बोर्ड को 41000 करोड रुपए ऋण के रूप में दिए हैं। दिल्ली जल बोर्ड की बदतर स्थिति का अंदाजा उसके विकास कार्यों में धीमेपन और लचर जल व्यवस्था से लगाया जा सकता है। माना जाता है कि दिल्ली जल बोर्ड के दिल्ली सरकार के अधीन होने और पानी मुफ्त करने की कवायद में दिल्ली जल बोर्ड की वित्तीय हालत बहुत खराब हो चुकी है। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा अनियमित कालोनियों में जल कनेक्शन में धीमापन सीवर की लचर स्थिति उसी कारण है। विपक्षी दल हालांकि दिल्ली जल बोर्ड में कथित रूप से भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाते रहे हैं।

इसके अतिरिक्त महिलाओं को मुफ्त दिल्ली परिवहन निगम की बसों में यात्रा एक अन्य मुफ्तखोरी की स्कीम दिल्ली सरकार द्वारा चलाई गई है। सरकार द्वारा लोगों को मुफ्त की स्कीमों के माध्यम से हजारों करोड रुपए का घाटा होता है। स्वभाविक है कि सीमित संसाधनों के चलते इस मुफ्तखोरी की नीति के चलते सरकारी राजस्व पर दबाव बनता है और कई आवश्यक खर्चों को टालना पड़ जाता है।

वर्तमान में सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को 20 नए कालेज देने, फ्री वाई–फाई उपलब्ध कराने, 20000 सार्वजनिक टॉयलेट बनवाने, महिला सुरक्षा फोर्स बनाने, 3 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने, स्वास्थ सुविधाओं के विस्तार, 8 लाख नौकरियों के सृजन, दिल्ली कौशल मिशन द्वारा हर साल एक लाख युवकों को कौशल प्रशिक्षण समेत 69 ऐसे वायदे किए थे, जो या तो केवल वादे रह गए या जिनमें प्रगति अत्यंत धीमी रही। समझा जा सकता है कि इन वादों को पूरा न कर पाने के पीछे मुख्य कारण धनाभाव है। गौरतलब है कि 'आप' सरकार से पहले, 1999–2000 और 2014–15 के बीच 15 सालों में पूंजीगत व्यय 510.5 करोड़ रुपये से बढ़कर 7430 करोड़ रुपये हो गया (यानि प्रति वर्ष वृद्धि 19.6 प्रतिशत रही), जो कि आप सरकार के पहले 5 साल में 7430 करोड़ रुपये से बढ़कर मुश्किल से 11549 करोड़ रुपये ही पहुँची (यानि वार्षिक वृद्धि मात्र 9.2 प्रतिशत रह गई)।

यदि कहा जाए कि सरकारी खजाने से पैसा देकर बिजली को 'गरीबों' के लिए मुफ्त अथवा कम कीमत पर उपलब्ध कराया जा रहा है तो यह सही नहीं होगा। वर्ष 2021–22 में दिल्ली में जहां चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 4,01,982 रूपये प्रति वर्ष है, वहां 54.5 लाख बिजली उपभोक्ताओं में से 43.2 लाख लोगों को या तो मुफ्त अथवा आधी कीमतों पर बिजली उपलब्ध कराई जा रही है, जिसके कारण नागरिक सुविधाएं बुरी तरह से प्रभावित हो रही है और सरकार पर कर्ज बढ़ रहा है, तो उसे औचित्यपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता। यही नहीं 5.3 लाख घरों को प्रति माह 20 हजार लीटर पानी भी मुफ्त में उपलब्ध कराया जा रहा है। मुफ्त जल उपलब्ध कराये जाने के कारण दिल्ली जल बोर्ड की बदतर हालत छुपी हुई नहीं है।

दिल्ली में मुफ्त बिजली, पानी के लालच से राजनैतिक लाभ उठाने वाली, इस आम आदमी पार्टी ने अब दूसरे राज्यों में भी इसी प्रकार का लालच देना शुरू किया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार के लालच पर प्रश्नचिन्ह लगाने के बाद यह राजनैतिक दल मुफ्त बिजली–पानी को औचित्यपूर्ण ठहराने की कोशिश कर रहा है। समझना होगा कि मुफ्तखोरी की यह राजनीति देश की अर्थव्यवस्था और शासन व्यवस्था दोनों के लिए अमंगलकारी है, जिसे आम सहमति से रोकने की जरूरत है।❑❑

आत्मनिर्भर भारत बनाम मुफ्त राजनीति

भारत आज विश्व में एक शक्तिशाली, सम्मानजनक एवं आत्मनिर्भर देश के रूप में पहचाना जाता है। जिसके पीछे हमारी सफल रणनीतियां, निर्णय तथा स्वदेशी से स्वालंबन एवं आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना निश्चित रूप से रही है। लेकिन कुछ वर्षो से भारतीय राजनीति में 'मुफ्त राजनीति' अर्थात 'मुफ्त में देने की राजनीति' या 'फ्रीबी की राजनीति' का प्रवेश हो चुका है। अगर यह कहे की 'मुफ्त राजनीति' जनमत को प्रभावित कर, 'सत्ता को हथियाने' का एक हथियार बन गया है तो गलत नहीं होगा। आज 'मुफ्त राजनीति' फैलती ही जा रही है और दीमक का स्वरूप लेने को तैयार है। वास्तव में वर्तमान 'मुफ्त राजनीति' लोकतंत्र की आर्थिक नीव को कमजोर कर, भुखमरी का मार्ग तैयार कर रही है।

भारत में विभिन्न राज्यों की सरकारों ने 'मुफ्त की राजनीति' के मार्ग पर चलना शुरू कर दिया है। जिनमे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, झारखंड, पंजाब एवं दिल्ली शामिल है। इसमें सरकारे सत्ता प्राप्त करने के लिए मुफ्त में पानी, बिजली, यातायात इत्यादि लोकलुभावन सुविधाओं को मुफ्त में देने का लालच देकर सत्ता हासिल कर लेती है। सुविधाओं की 'व्यवस्था करना' एवं 'मुफ्त बाँटना' दोनों में काफी बड़ा अंतर है लेकिन सरकारे जानते हुए भी जानबूझकर इसका फायदा उठाना चाहती है और लोगों को भ्रमित कर, मुफ्त में देने की इस 'रेवड़ी संस्कृति' को कल्याणकारी व्यवस्था का नाम देकर, अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करती है।

'मुफ्त राजनीति' से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों की बात करे तो राज्य तथा सरकारों के कर्तव्यों का भारतीय संविधान के अध्याय 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत 'राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों' का वर्णन किया गया है। सरकारों को अपने दायित्व तथा कर्तव्यों को इसी सीमा के अंतर्गत कल्याणकारी नियम तथा व्यवस्था करके निर्वाह करना चाहिए। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 282 के अनुसार संघ एवं राज्य विधानमंडल किसी भी सार्वजानिक उद्देश्य के लिए कोई 'अनुदान' दे सकता है। वास्तव में अनुच्छेद 282 का उपयोग और दुरुपयोग सभी केंद्र एवं राज्य प्रायोजित योजनाओं के लिए किया गया है, जिस पर फिर से विचार करना होगा। क्योकि मूल रूप से 'मुफ्त राजनीति' को सहारा या बढ़ावा यही से मिलता है।

इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि कभी–कभी कोई भी मुफ़्त उपहार एक स्वस्थ और मजबूत कार्यबल का निर्माण कर सकता है, जो किसी विकास रणनीति का हिस्सा हो सकता है। जैसे, मनरेगा पर खर्चा, खाद्य राशन योजना सब्सिडी, शिक्षा पर जाने वाली सब्सिडी इत्यादि। लेकिन हमें 'मूल्यवान वस्तुओं' और 'सार्वजानिक वस्तुओं' में अंतर करना आवश्यक है। साथ ही यह जानना जरुरी नहीं कि मुफ्त में प्राप्ति कितनी सस्ती है, बल्कि यह जानना जरुरी है कि भविष्य में अर्थव्यवस्था, जीवन की गुणवत्ता और सामाजिक सामंजस्य के लिए कितनी महंगी होगी। इसलिए भविष्योन्मुखी बनने की आवश्यकता है।

आज अधिकांशतः विशेषकर वे लोग जो 'मुफ्त की राजनीति' को स्वीकार कर रहे है, जिन्हें कल्याणकारी नीतियों और मुफ्त की राजनीति में अंतर दिखाई नहीं दे रहा है और न ही उसका दूरगामी परिणाम। वे लोग सरकार द्वारा जो भी मुफ्त में दिया जा रहा है उसे कल्याणकारी व्यवस्था के अंतर्गत समझकर स्वीकार करते जा रहे है। यह अनभिज्ञता देश के 'आत्मनिर्भर भारत' की संकल्पना को प्रभावित तो करेगी ही, साथ ही देश के भविष्य को भी कंगाली तक

'मुफ्त राजनीति' से सत्ता तक पहुँचने का यह रास्ता किसी के लिए भी हितकर नहीं हो सकता, बल्कि अंत में विनाशक ही साबित होगा।

– डॉ. युवराज कुमार

ले जा सकती है। वर्तमान में इस 'मुफ्त की राजनीति' के दुष्परिणाम श्रीलंका, वेनेजुएला, अर्जेंटीना इत्यादि देशों में उदाहरण के रूप में जगजाहिर है, जिनकी हालत बद से बदत्तर हो गई है। इन सब देशों से भारतीय राजनीति को सबक लेने की आवश्यकता है।

भारत के प्रधानमत्री मोदी जी ने जुलाई, 2022 इस 'मुफ्त राजनीति' को "रेवड़ी संस्कृति" का नाम देकर इसको देश के लिए खतरा तक बताया है। क्योंकि जहां 'मुफ्त की राजनीति' देश की अर्थव्यवस्था को पंगु बनाकर, व्यक्ति को निक्कमा और नाकारा बनाएगी, वहां यह आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना, स्वदेशी से स्वालंबन, स्वाभिमानी, आत्मनिर्भर भारत के विजन में बाधा उत्पन्न कर करेगी।

भारत में जिन राज्यों ने 'मुफ्त की राजनीति' को अपनाया था, अब यह उनके गले की हड्डी भी बनती जा रही है। क्योंकि लुभावने वायदे के अनुरूप मुफ्त देने की प्रथा को निभाने के लिए इन पर कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। उदाहरण के लिए पंजाब पर 2.75 लाख करोड़ का कर्ज है तथा 56 हजार करोड़ कर्ज लेने की बात हो रही है। दिल्ली पर 67 हजार करोड़ रुपए का कर्ज है। 2019 सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली परिवहन का घाटा 29,143 करोड़ रू., दिल्ली जल बोर्ड का घाटा 27,660 करोड़ रू., तथा बिजली कंपनियों का घाटा 2,561 करोड़ रू. बताया गया है।

दिल्ली की स्थिति तो यहाँ तक पहुँच गई है कि वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 महाविद्यालयों के शिक्षकों, कर्मचारियों को अपने वेतन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। जिसका विरोध दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन तथा दिल्ली यूनिवर्सिटी कर्मचारी एसोसिएशन हड़तालों के रूप में कर रहे है। दिल्ली विश्वविद्यालय के दीनदयाल उपाध्याय महाविद्यालय के शिक्षकों को अपने वेतन में से असिस्टेंट प्रोफेसर के वेतन से 30 हजार रू. तथा एसोसिएट प्रोफेसर के वेतन से 50 हजार रू. की कटौती के लिए कहा गया है। स्पष्ट है 'मुफ्त की राजनीति' के दुष्परिणाम धीरे–धीरे लोगों के समक्ष आने लगे है।

इसके बावजूद भारत के क्षेत्रीय दलों के साथ–साथ अब राष्ट्रीय राजनीतिक दल भी 'मुफ्त राजनीति' को अपनाने को आतुर है। अभी हाल ही में 5 सितंबर 2022 को राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में गुजरात के लोगों के लिए वचन दिया है कि 500 रू. में गैस सिलेंडर, 300 यूनिट बिजली मुफ्त, 10 लाख रू. तक मुफ्त इलाज, किसानों का तीन लाख तक कर्ज माफ, 3000 सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल तथा करोना पीड़ित परिवारों को 4 लाख रू. मुआवजा दिया जायेगा।

देखा जाए तो 'मुफ्त राजनीति' ने देश के नागरिकों को दो भागों में बाँटकर, नफरत की राजनीति को भी प्रारम्भ कर दिया है। एक तरफ 'मुफ्त की राजनीति' का उपयोग करने वाले 'नॉन टेक्स पेयर' जोकि संख्या में अधिक है, दूसरी तरफ 'मुफ्त की राजनीति' का उपयोग न के बराबर करने वाले 'टेक्स पेयर' जोकि संख्या में कम है। जहाँ एक तरफ 'टेक्स पेयर' जोकि सक्षम, शिक्षित, जागरूक, प्रगतिशील नागरिक है, को अपने पैसों का दुरूपयोग 'मुफ्त राजनीति' के लिए बिल्कुल नहीं चाहते है, वही दूसरी तरफ 'नॉन टेक्स पेयर' विशेष रूप से निम्न मध्यम वर्ग जिसमें बिना मेहनत/कार्य किये मुफ्त में लेने की लालसा मानव स्वभाव के अनुरूप बनी रहती है। भविष्य में 'मुफ्त राजनीति' के दुष्परिणाम देखने को मिल सकते है – लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर होना, राज्यों की दयनीय वित्तीय स्थिति, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का अभाव, 'मुफ्त राजनीति' में प्रतिस्पर्धा का आरम्भ होना, राजस्व का दुरूपयोग, मानव मूल्यों का हनन, असमानता में बढोत्तरी, राष्ट्र विरोधी, दक्षता विरोधी, क्षमता विरोधी, विकास विरोधी तथा आत्मनिर्भरता विरोधी इत्यादि।

देश को मुफ्त राजनीति से बचाना है तो सर्वप्रथम, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 282 में सुधार कर 'अनुदान' की परिभाषा को दुरस्त करना होगा, सरकार के दायित्व व कर्त्तव्यों को पुनः निर्धारित करना होगा, कल्याण के क्षेत्राधिकारों एवं सीमाओं को स्पष्ट करना होगा तथा सरकारी खजाने तथा नागरिकों द्वारा प्राप्त राजस्व का उपयोग एवं दुरूपयोग में पारदर्शिता रखनी होगी। इसके अलावा मुफ्त राजनीति के प्रति बुद्धिजीवियों का भी अपना सामाजिक दायित्व निभाना होगा तथा अपनी लेखनी, वाद–विवाद, वार्ता, सेमिनार इत्यादि के द्वारा जागरूकता लाये और मुफ्त राजनीति के फायदे तथा नुकसान को समझाते हुए नागरिकों को इतना जागरूक कर दे कि वे स्वयं मुफ्त राजनीति को अस्वीकार कर दे। जो अस्वीकार करना चाहते है उनका आंकड़ा तैयार किया जाये। साथ ही, मीडिया 'जागो नागरिकों जागो' के माध्यम से एक मुहीम चलाये। जैसा कि कोरोना महामारी के समय चाईना के विरुद्ध 'स्वदेशी एवं मेक इन इंडिया' का अभियान चलाया था, जिसमें जबरदस्त सफलता मिली थी।

अन्त में, यही कहा जा सकता है कि 'मुफ्त राजनीति' से सत्ता तक पहुँचने का यह रास्ता किसी के लिए भी (देश, राज्य सरकारें, राजनीतिक दल, वर्ग विशेष, समाज या स्वयं मानव) हितकर नहीं हो सकता, बल्कि अंत में विनाशक ही साबित होगा। इसलिए समय रहते भारतीय न्यायालय, चुनाव आयोग, नागरिक समाज, स्वैक्षिक संगठनों को देशहित एवं मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए कठोर नियम एवं कानून बनाकर हस्तक्षेप करना होगा। ❑❑

लेखकः असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनैतिक विज्ञान विभाग,
पीजीडीएवी कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय

'जय-अनुसंधान': आत्मनिर्भरता का सुघर सारथी

अन्न के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था – 'जय जवान, जय किसान'। पोखरण विस्फोट से दुनिया को चकित करने वाले वाले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेई ने इस नारे में 'जय विज्ञान जोड़ा'। अब देश जब आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर रहा है तो लाल किले की प्राचीर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नारे को और थोड़ा विस्तार देते हुए इसमें 'जय अनुसंधान' जोड़ दिया है। अब मुकम्मल नारा है, 'जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान'। उम्मीद की जा रही है कि अमृत काल में अगले 25 वर्षों के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान से जुड़ी ठोस उपलब्धियां धरातल पर दिखाई पड़ेगी।

भारत के बृहत बाजार की आवश्यकताओं के मद्देनजर निजी विनिर्माण उद्योग में भी शोध के प्रोत्साहन सरकार की दूरगामी पहल है, जो भविष्य की संभावनाओं का सृजनकर्त्ता सिद्ध हो सकती है। वर्तमान कर कानून सीएसआर के तहत अनुसंधान के क्षेत्र में भी निवेश पर अब भारी छूट की सकारात्मक नीति अपना रहे हैं। इस दिशा में नए–नए शोध बिंदुओं का सृजन अनुसंधान के दायरे को और अधिक बढ़ाएगा। स्वदेशी तकनीक आधारित निर्माण उद्योग को तीव्र गति देने के लिए वृहद परियोजनाओं के तहत देशभर में कई अनुसंधान एवं विकास निर्यात केंद्र सृजित किए जाने की योजना अपने आपमें एक अनूठी पहल है।

आजादी के बाद पहली बार लालकिला से स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे को आधिकारिक रूप से स्वदेशी तोपों द्वारा सलामी दी गई। देसी तोपों की गड़गड़ाहट के बीच प्रधानमंत्री ने 'जय–अनुसंधान' के नारे का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप में संदेश दिया कि आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रौद्योगिकी विज्ञान, अनुसंधान एवं नवोन्मेष के सतत् संप्रेषण की नीतियों को आगे करना होगा, ताकि देश रफ्तार के साथ आगे बढ़ सके।

मालूम हो कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने अनुसंधान एवं विकास को सकल घरेलू उत्पादन का कम से कम 2 प्रतिशत तक बढ़ाने की सलाह दी है। अगर ऐसा

प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप में संदेश दिया कि आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रौद्योगिकी विज्ञान, अनुसंधान एवं नवोन्मेष के सतत् संप्रेषण की नीतियों को आगे करना होगा, ताकि देश रफ्तार के साथ आगे बढ़ सके।

– अनिल तिवारी

होता है तो भविष्य में न केवल विदेशी निर्यात धीरे–धीरे कम होगा, अतीत के वर्षों से चले आ रहे असंतुलन को भी संतुलित किया जा सकेगा। एक तरफ भारत विश्व में विदेशों से रक्षा संयत्र करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है, वहीं अनुसंधान मद पर खर्च करने में विश्व के निम्नतम पायदान के देशों में अभी शुमार है। तकनीक के युग में भारत में अनुसंधान पर जीडीपी का मात्र 0.6 प्रतिशत ही खर्च हो रहा है, जोकि अफ्रीका से भी कम है। नतीजा यह है कि 140 करोड़ का सामर्थ्यवान भारत रक्षा के क्षेत्र में ही नहीं अपितु अन्य क्षेत्रों में भी विदेशी तकनीकी का उपभोक्ता बनकर रह गया है। यह और भी पीड़ादायी तब हो जाता है जब स्वदेशी प्रतिभा को खरिजकर विदेशी तकनीकी के वर्चस्व का शिकंजा देश के बाजारों को अपने पाले में करता जा रहा है।

इसमें कोई दो राय नहीं कि स्वतंत्रता मिलने के बाद से ही भारतीय तकनीकी की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता सबसे ऊंची रही है। आज इसका उदाहरण है – भारतीय यूपीआई, जो वर्तमान में दुनिया के वित्तीय डिजिटल लेनदेन का 40 प्रतिशत तक का भागीदार बन गया है। वहीं भारत जैसे देश की भूमिका संस्थाओं की चुनौती को स्वीकारते हुए देसी दूरसंचार को 5जी के युग में प्रवेश करवाने के लिए इसरो द्वारा निर्मित स्वदेशी संस्थानों का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। इसका वाणिज्य, अंतरिक्ष, वर्तमान में शोध के व्यवसायीकरण एवं निजी क्षेत्र के बीच समन्वय का सार्थक उदाहरण है। वहीं डीआरडीओ, जिसकी भारत में 50 से अधिक प्रयोगशालाएं हैं, ने कहीं न कहीं शिक्षा एवं निजी क्षेत्र में न्यूनतम भागीदारी का खामियाजा उठाया है। इसी कारण सरकार सजग है कि अमेरिकी और इजराइली तकनीकी के उपहार को केवल सरकारी तंत्र तक सीमित न रखें, बल्कि निजी भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

देश में अभी भी सटीक तकनीकी परामर्श, संसाधनों का अभाव जैसी समस्याएं खड़ी होती रही हैं। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सहायता प्लेटफार्म बहुत कारगर है, पर इन्हें प्राप्त करने के लिए हमें वैश्विक मानकों पर खरा उतरने की जरूरत होगी। इसके लिए भारतीय शोधार्थियों और प्रयोगशालाओं को भी अपनी कमर कसनी होगी। वास्तव में इसके लिए प्रारंभिक स्तर से ही विद्यार्थियों को शोध उन्मुख शिक्षण के प्रति जागरूकता के साथ आगे ले जाना होगा। इस दिशा में एनसीईआरटी के सजग प्रयासों से पाठ्यक्रम को विचार संगत बनाने के लिए भरसक प्रयत्न किए गए हैं, परंतु शिक्षा के व्यवसायीकरण की दौड़ में शैक्षिक अनुसंधान, शीघ्र परिणाम देने की होड़, पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के चलते कहीं न कहीं शोधोन्मुक्त प्रतिभा की अनदेखी के मामले भी बहुत देखें जाते रहे हैं। देश के आईआईटी संस्थानों ने शोध व ज्ञान की समग्रता का सटीक उदाहरण पेश किया है। विभिन्न क्षेत्रों में नई तकनीक विकसित करने के कई कीर्तिमान स्थापित किए, परंतु यह दुर्भाग्य भी जुड़ा हुआ है कि प्रतिभा पलायन के संकट से हम सर्वदा घिरे रहे।

भारत के हर क्षेत्र में पारंपरिक अनुसंधान मुख्य रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग विश्वविद्यालय अनुसंधान परिषद सीएसआईआर आईसीएआर आज केंद्रीय संस्थानों की निगरानी में चलाए जा रहे हैं, परंतु इनमें भी पारस्परिक समन्वय के अभाव के कारण योजनाओं के दोहराव की प्रवृत्ति, शोध प्राथमिकताओं का भटकाव, फंड का दुरुपयोग, आवंटन की अनियमितताएं, योग्य शोधार्थियों की अनदेखी, मौलिकता का अभाव जैसी चुनौतियां दिन प्रतिदिन बढ़ती ही गई हैं। इन्हीं मूलभूत समस्याओं के निराकरण के लिए 'नई शिक्षा नीति 2020'7 के तहत एनआरएस नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का गठन आशा की किरण जैसा है, जो देश में स्वतंत्र रूप से विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट शोधकर्ताओं के मार्गदर्शन में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान को विकसित करेगा और उनकी प्रगति का मूल्यांकन भी करेगा। इसका काम भारत में अनुसंधान की भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए शिक्षा तंत्र के साथ सामंजस्य को बढ़ाना भी होगा ताकि भारत में शोधार्थियों की संख्या को एक निश्चित मानक तक ले जाया जा सके। ज्ञात हो कि देश में वर्तमान में शोधकर्ताओं की संख्या प्रति 10 लाख पर केवल 200 के आस–पास ही है, जो वर्तमान में अमेरिका के 4000 के आंकड़े के समक्ष नगण्य है।

आवश्यक कोष के आभाव में ढेर सारे क्षेत्र अनुसंधान की दृष्टि से अछूते ही रह जाते हैं, जिन क्षेत्रों में अपार संभावनाएं छिपी हुई है, वहां काम करने को लेकर हिचकिचाहट बरकरार है। दुर्लभ खनिजों की खोज देश की काया पलट सकते हैं लेकिन अभी हमारे पास इसकी कोई सटीक जानकारी के लिए कोई शोधपूर्ण अध्ययन नहीं हुआ है। इसी तरह जैव प्रौद्योगिकी चिकित्सा एवं कृषि में भी भारतीय जीवन शैली आधारित शोध बिंदुओं के प्रोत्साहन से स्वदेश निर्मित उत्पाद मानव जीवन की गुणवत्ता को किफायती दरों पर उपलब्ध करा सकते हैं। इसे लेकर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के संस्थान पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद टाइफेक ने एक दृष्टि पत्र जारी कर नई तकनीकी को भूमिका को सुनिश्चित करने के लिए कुछ प्रारूप प्रस्तुत किया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि मंत्रालय द्वारा अनुसंधान की दिशा में उठाया गया यह कदम अमृत काल के लिए वांछित लक्ष्य के प्राप्ति की दिशा में एक गुणात्मक परिणाम देने वाला कदम साबित हो सकता है। ❑❑

धर्मनिरपेक्षता की पुनर्कल्पना

'सी वोटर' द्वारा हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण से यह बात उभर कर आई है कि भारत में व्यापक मुस्लिम विरोधी भावना व्याप्त है। हर पांच में से दो गैर मुस्लिम अपने पड़ोसी के रूप में किसी मुस्लिम को नहीं चाहता है। तीन चौथाई से अधिक गैर मुस्लिम का यह मानना है कि भारत में मुस्लिम आबादी उनके लिए उचित नहीं है। इसी तरह गैर मुस्लिमों का एक बड़ा तबका यह भी मान रहा है कि उनकी सुख–सुविधाओं में मुस्लिम आबादी आड़े आ रही है। कुल मिलाकर सर्वेक्षण स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि भारत में मुस्लिम विरोधी तबका मुस्लिम आबादी के प्रति अधिक असहिष्णु हो रहा है। सर्वेक्षण से यह सवाल निकलकर आ रहा है कि क्या मौजूदा शासन सत्ता इस बात को लगातार हवा दे रही है अथवा पहले से पनप रही बात को संज्ञान लेते हुए उसी के अनुरूप अपना राजनीतिक एजेंडा तैयार कर रही है, अथवा दोनों?

इसमें कोई दो राय नहीं कि आज के भारत में भाजपा की विचारधारा हावी है। इसलिए पुरानी धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा आज के भारत के मतदाताओं को कहीं से अपील नहीं करती है। जो लोग बीजेपी के आलोचक हैं वह हिंदुत्व की आलोचना करते हैं, क्योंकि यह भारत के उनके विचार के विरोध में है। उनका तर्क है कि जिस चीज को बढ़ावा दिया जा रहा है वह बहुसंख्यकवादी लोगों के संकीर्ण सोच वाली सांप्रदायिक विचारधारा है। लेकिन कई एक राष्ट्रवादी टिप्पणीकार मुख्य रूप से जो वर्तमान शासकों के पक्ष में खड़े हैं और एक नए भारत के पक्ष में बात करते हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि भारत मुसलमानों के रहने के लिए एक अच्छी जगह है। राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत होकर वह साथ–साथ अमन चैन से रह सकते हैं लेकिन उन्हें यहां किसी बड़े आसन पर नहीं बिठाया जा सकता।

धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी व्याख्या को भारत की बहुसंख्यक आबादी के साथ कभी स्वीकृति नहीं मिली, इसके कार्यान्वयन से केवल मुस्लिम अल्पसंख्यकों को अनुचित विशेष अधिकार प्रदान किए गए।

– के.के. श्रीवास्तव

एक आम धारणा है कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है। संविधान के प्रावधानों के बारे में आलोचनात्मक बहस की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। कुछ लोगों का मत है कि बाद के दिनों में प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द को जोड़कर चुपके से बढ़ाया गया और इसके बारे में अब तर्क करने की जरूरत है। इस बात पर कोई बहस नहीं है कि सत्ता में पार्टियां अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाती हैं। वर्तमान सत्ताधारी पार्टी भी चीजों को अपने हिसाब से आगे बढ़ा रही हैं। पार्टी एक ऐसे विचार पेश कर रही है जो आज का भारत चाहता है, जन मन की आकांक्षाओं को देखते हुए पार्टियां अपनी नीतियां तय करती ही हैं।

वैसे भी हमारे संविधान में सौ से अधिक सफलतापूर्वक संशोधन किए गए हैं। आजादी के 75 वर्षों में ऐसे बहुत से समय आए हैं जब हमारे संविधान की पुस्तक में निहित पवित्र सिद्धांतों के प्रति तत्कालीन सरकारों ने और उन सरकारों की पार्टियों ने कोई दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं दिखाई है। उदाहरण के लिए धर्मनिरपेक्ष भारत में राज्यों ने समाहित सामूहिक रूप से हमारे देश के पूरे भूगोल में स्थित सैकड़ों हजारों मंदिरों के संचालन की निगरानी का निर्णय लिया है।

निश्चित रूप से वर्तमान शासन के कुछ आलोचक हैं जो आरोप लगाते हैं कि भाजपा धारा को मोड़ने का एक सफल प्रयास कर रही है और हिंदू उत्पीड़न का कार्ड राजनीति में खेल रही है। लेकिन लगे हाथ कुछ ऐसे भी हैं जो धर्मनिरपेक्षता के विचार को समान रूप

से खारिज करते हैं क्योंकि इससे पहले के शासन के दौरान जो परिभाषित किया गया था और व्यवहार में लाया गया था वह सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए था। ऐसे लोगों का मानना है कि धर्मनिरपेक्षता शब्द संविधान के जरिए जोड़ा इसीलिए गया ताकि एक खास तबके के वोट की राजनीति की जा सके। इनका मानना है कि पहले के शासकों ने चतुराई से इस शब्द का इस्तेमाल केवल अल्पसंख्यकों को सूली पर चढ़ाने के लिए ही किया था जिसे अब ठीक करने की जरूरत है। धर्मनिरपेक्षता शब्द के जोड़े जाने से सांप्रदायिक संबंधों में कोई बड़ा सौहार्द नहीं आया, बल्कि स्थिति दिन–प्रतिदिन बिगड़ती गई और अल्पसंख्यकों में स्थाई अधिकार की भावना पैदा होती गई। अल्पसंख्यक समूह वास्तव में तब बहुत प्रसन्न हुए जब संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 30 में उनके धार्मिक अधिकारों को एक प्रीमियम दर्जा दिया गया। तीन राष्ट्रीय टिप्पणीकारों के अनुसार वह एक विशेष अधिकार प्राप्त समूह बन गए, जो अब सबके बराबर नहीं रहे।

भाजपा विचारधारा के तौर पर हमेशा से एक स्पष्ट पार्टी रही है। हिंदुओं के हित में खड़ा होने का उसका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। ऐसे में यह स्वाभाविक है कि पार्टी बहुसंख्यक आबादी को अपने पक्ष में गोलबंद करती रही है और एक पार्टी के तौर पर उसका ऐसा करना लाजमी भी है। कुछ विरोधी लोग भाजपा के इस प्रयास की आलोचना करते हैं तथा उपहास भी उड़ाते हैं। तथ्य यह है कि कांग्रेस ने चुनावी लड़ाई जीतने के लिए मुस्लिम मतदाता पर काम किया। अब अगर भारतीय जनता पार्टी काउंटर कथा बनाने की कोशिश कर रही है तो वह अनैतिक कैसे हो सकता है और सबसे बड़ी बात कि राजनीति कभी–कभी अनैतिक हो सकती है, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि यह दांव राजनीति का ऊंचा खेल सबको इकट्ठा करने और जीतने का है।

एक उभरते हुए हिंदू राज्य में एक नया बहुमत भरा अल्पसंख्यक समझौता क्यों नहीं? नई वास्तविकता में हिंदुओं के पास अधिकार की भावना है इसलिए मुसलमान उन विशेष अधिकारों के लिए लड़ने की जोखिम नहीं उठा सकते, जिनका उन्होंने अभी कुछ साल पहले तक खूब आनंद लिया है।

तो ऐसे में भारतीय मुसलमानों के लिए रास्ता क्या है? एक साल पहले पुणे में ग्लोबल स्टेट जी पॉलिसी फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूज्य सरसंघचालक मोहन भागवत जी ने कहा था कि समझदार और मुस्लिम नेताओं को कट्टरपंथी लोगों के विरुद्ध दृढ़ता से खड़ा हो जाना चाहिए। उन्होंने बताया था कि हिंदू शब्द मातृभूमे पूर्वज और भारतीय संस्कृति के बराबर है, यह अन्य विचारों का सम्मान नहीं है। हमें मुस्लिम वर्चस्व के बारे में नहीं, बल्कि भारतीय वर्चस्व के बारे में सोचना चाहिए।

एक उभरते हुए हिंदू राज्य में एक नया बहुमत भरा अल्पसंख्यक समझौता क्यों नहीं? नई वास्तविकता में हिंदुओं के पास अधिकार की भावना है इसलिए मुसलमान उन विशेष अधिकारों के लिए लड़ने की जोखिम नहीं उठा सकते, जिनका उन्होंने अभी कुछ साल पहले तक खूब आनंद लिया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि पहले की सरकारों ने शासन सत्ता पर काबिज रहने के लिए तुष्टीकरण का मार्ग अपनाया तथा जरूरत पड़ने पर बहुसंख्यक आबादी को एक तरह से बहुसंख्यक आबादी की अनदेखी की। अब समय मिलने पर वह आबादी अपने आकांक्षा के अनुरूप राजनीतिक व्यवहार कर रही है तो यह एक तरह से जायज भी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भारत की विशाल संख्या को नेतृत्व प्रदान कर रही है, इसलिए उसे जन मन के अनुरूप खुद को आगे रखना ही चाहिए। अल्पसंख्यकवाद के नाम पर आखिर तुष्टीकरण की राजनीति कब तक की जाएगी, उसके फलित अर्थ क्या होंगे? यह देश ने पिछले 70 सालों में देखा है और भोगा भी है। अब अगर देश की जनता उससे आगे बढ़ना चाहती है तो उसमें कोई खामी नजर नहीं आती।

वास्तव में हमारा भारतीय समाज हमेशा से धार्मिक रहा है, बावजूद पहले के राजनीतिक दलों द्वारा पश्चिम के धर्मनिरपेक्षता के विचार आरोपित किए गए। लेकिन व्यवहारिक तौर पर इस विचार और विचार के बहाने निरंतर शोषण के कारण हिंदुओं के बीच असंतोष पैदा हुआ और बहुसंख्यक आबादी या मानने के लिए तैयार हो गई कि धर्मनिरपेक्षता वास्तव में गलत है। दरअसल धर्मनिरपेक्षता मुस्लिमों को सशक्त बनाने के लिए ही तो की गई इस छद्म धर्मनिरपेक्षता का उद्देश्य मुसलमानों को बिना फायदा पहुंचाए वोट बैंक के रूप में तो होना था। शिक्षा, सांस्कृतिक, पुनर्जागरण या जागृति उन्नति के किसी अन्य मानदंड के संदर्भ में उस समुदाय की स्थिति को देखने के बाद यह अपने आप स्पष्ट हो जाता है। यही कारण है कि धर्मनिरपेक्षता के विचार को किसी ने अपनाया, किसी ने अपनाया नहीं, न तो बहुसंख्यकों ने और न ही अल्पसंख्यकों ने।

ऐसे में आज की नई वास्तविकता को स्वीकारने का समय है। इस देश में मुसलमान तब भारत में समान नागरिक के रूप में बड़े आराम चैन से रह सकेंगे। ❑❑

कामकाजी महिला शक्ति

विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रधानमंत्री ने महिलाओं की भूमिका को प्रमुखता से रेखांकित किया है। लाल किले की प्राचीर से बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर हम नारी शक्ति पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो अमृत काल के दौरान देश को एक नई ऊंचाई स्वतः मिल जाएगी। पिछले दिनों राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से महिला बल को काम करने के लिए सशक्त बनाने के बारे में गंभीर बात करने को प्रमुखता से चुना। उनके अनुसार वर्क फ्रॉम होम, इकोसिस्टम, लचीले कामकाजी घंटों के प्रावधान और गैर स्थिर कार्य स्थलों को एक साथ जोड़कर स्थापित करने से महिलाओं के लिए काम के व्यापक अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत के प्रमुखों से भी अपील की कि वे ऐसे तरीके अपनाएं ताकि महिलाएं अधिक से अधिक काम के प्रति आकर्षित हो। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यदि महिलाओं को प्रगति में भागीदार के रूप में शामिल किया जाता है तो राष्ट्र अपने लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त कर सकता है।

हालांकि यह केवल अभी बातें हैं लेकिन इन बातों को भी पंख लग सकते हैं, जरूरत है कि सरकार और निजी क्षेत्र के लोग प्रधानमंत्री के मकसद को जमीन पर साकार करने के लिए एकसाथ बैठकर गंभीर विमर्श करें। कार्यबल में महिलाओं के शामिल होने लिए जिन बुनियादी जरूरतों की दरकार है उसे सरकार तथा निजी क्षेत्र के बड़े लोगों को मुहैया कराना होगा, कामकाज में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए इसके राह में आ रही बाधाओं को दूर करना होगा।

फिलहाल भारत में महिलाओं की वास्तविक कार्य भागीदारी एक निराशाजनक स्थिति में है। ऑक्सफैम का सुझाव है कि अगर भारतीय महिलाएं भारतीय पुरुषों की तरह भागीदारी निभाने लगे तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 43 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। वास्तव में भारत में महिलाओं की भागीदारी का मौजूदा आंकड़ा न केवल समकक्ष अर्थव्यवस्थाओं के साथ बल्कि कुछ कम विकसित देशों की तुलना में भी बहुत कम है।

उपयुक्त उत्पादक कार्यों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण एक बहुत ही आकर्षक विचार है लेकिन जमीनी स्तर पर इसके कार्यान्वयनके लिए बहुआयामी योजना और उसके क्रियान्वयन की आवश्यकता है।

– डॉ. जया कक्कड़

दरअसल भारत के कामकाजी लोगों में लैंगिक असंतुलन की गंभीर चुनौतियां है, उसे ठीक किए जाने की जरूरत है। भारत में महिलाओं की संख्या 48 प्रतिशत है लेकिन उनका कामकाजी प्रतिनिधित्व बेहद अपर्याप्त है। यह लगातार गिरावट की ओर देखा जा रहा है। 1991 से 2005 के बीच महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर 30 से 32 प्रतिशत के बीच रही। अफसोस की बात है कि 2020–21 के दौरान यह आंकड़ा घटकर मात्र 25 प्रतिशत रह गया था। चिंताजनक बात यह है कि तृतीयक शिक्षा में भारतीय महिलाओं की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है और अब पुरुषों के बराबर हो गई है। महिलाओं की पिछड़ी हुई एलएफपीआर हमारे देश की आर्थिक प्रगति में योगदान देने में शिक्षित महिला प्रतिभा का उपयोग न करने की ओर इशारा करती है। इस आंकड़े को इस तथ्य से जोड़ दें कि भारत कौशल रिपोर्ट के अनुसार 46 प्रतिशत पुरुषों की तुलना में 51 प्रतिशत महिलाएं उच्च मानदंड पर योग्य हैं तो यह बात स्पष्ट रूप से निकलकर आती है कि महिलाओं में काम करने की क्षमता में कोई कमी नहीं है, बल्कि अवसर की कमी महिलाओं के कार्य बल में शामिल होने के रास्ते में खड़ी है।

लैंगिक असंतुलन को समझने के लिए हम मनोरंजन उद्योग का उदाहरण ले सकते हैं। एक शोध के अनुसार भारत विश्व स्तर पर सबसे तेजी से विकसित हो रहे मीडिया और मनोरंजन

बाजारों में से एक है। यह हर साल सबसे ज्यादा फिल्मों का निर्माण करता है। लेकिन डिजाइनिंग, लेखन, निर्देशन, संपादन आदि सहित प्रमुख भूमिकाओं में केवल 10 प्रतिशत महिलाओं को अवसर मिल पाया है। सर्वेक्षण में मुख्यधारा की 568 फिल्मों में से एक का भी निर्देशन या संपादन किसी महिला ने नहीं किया था। ट्रेलरों में पुरुष अभिनेताओं ने महिलाओं की तुलना में 3 गुना अधिक काम किया। फिल्म प्रचार के क्षेत्र में भी पुरुष प्रमुख है। इस तरह कई एक ऐसे क्षेत्र हैं जहां महिलाओं की भागीदारी अभी भी ना के बराबर है और हाल फिलहाल इसमें सुधार के भी कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाए बगैर लक्ष्य प्राप्ति के सवाल अनुत्तरित ही रह जाते हैं।

यही स्थिति केवल फिल्म और नाटक में ही नहीं, ऐसी ही तस्वीर हर तरफ समान रूप से देनी है। भारत में महिलाओं की उपस्थिति नगण्य है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के अनुसार पूर्ण लैंगिक समानता प्राप्त करने में अभी भी लगभग 200 वर्ष लग सकते हैं। ऐसे में केवल बयानबाजी करने से परिणाम हासिल नहीं होगा, जरूरत इस बात की है कि ठोस कार्रवाई की जाए। अभी तक सरकार और निजी उद्योग दोनों का रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है। उदाहरण के लिए संसद में जब महिला आरक्षण बिल प्रस्तुत किया जाता है तो कमोवेश हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर इसे टाल दिया जाता है। इसके पीछे ठोस कारण पुरूषवादी मानसिकता है। यह वर्ग यह कतई नहीं चाहता कि महिलाएं घर के चूल्हा चौके से बाहर निकल अपना स्वतंत्र आत्मनिर्भर अस्तित्व विकसित कर सके। इस वर्ग के भीतर एक अनचाहा डर बैठा हुआ है जो इन्हें महिलाओं को मौका दिये जाने से बार–बार रोकता है।

महिलाएं आमतौर पर समय की कमी के कारण घर के काम और देखभाल की जिम्मेदारियों की दोहरी पाली में काम करने के लिए मजबूर होती हैं। नतीजा वे या तो पूरी तरह से बाहर हो जाती हैं या एक सुरक्षित कम फायदेमंद ट्रैक का विकल्प चुन सकती हैं। सर्वेक्षण में एक चौंकाने वाला यह भी तथ्य उभरकर आया है कि कोरोना महामारी के बाद भौतिक तौर पर कार्यालय जाकर काम करने की स्थिति में पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने अपना त्यागपत्र ज्यादा दिया है। यह भी निष्कर्ष निकलकर आया है कि केवल 21 प्रतिशत महिलाएं वेतन सहित कार्य में शामिल थी जबकि 79 प्रतिशत घर और अन्य जगहों पर अवैतनिक कार्य में लगी हुई थी। पुरुषों के लिए आंकड़े क्रमश 70 प्रतिशत और 49 प्रतिशत है। इस प्रकार जब घर से बाहर काम करने वाली सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक मजबूरियों के कारण रोजगार योग्य महिलाओं के लिए विकल्प नहीं है तो ऐसे में इन्हें मुख्यधारा में कैसे शामिल किया जा सकता है। अगर घर से काम करने की संस्कृति विकसित की जाए तो निश्चित रूप से महिलाओं की भागीदारी धीरे–धीरे उसमें बढ़ेगी। सरकार और उद्योग से जुड़े हुए लोगों को एकसाथ बैठकर इस पर चिंतन करना होगा तथा इसके लिए रास्ता बनाना होगा ताकि महिलाएं निर्भीक होकर अधिक स्वतंत्रता के साथ अपने पूरे सामर्थ्य से कार्य बल में शामिल हो सके।

कार्यबल में महिलाओं की तादाद बढ़ेगी तो देश आगे बढ़ेगा पर सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने से बात नहीं बनेगी इसके लिए सबको साथ मिलकर कार्य योजना के अनुरूप कार्य करना होगा। अच्छा होगा कि प्रधानमंत्री इसे स्वयं अपने हाथ में ले।

हालांकि यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस तरह के लचीलापन को अन्य व्यवहारिक और मौलिक परिवर्तनों के साथ पूर्ण करने की आवश्यकता होगी, समस्या के केवल एक हिस्से को ठीक करना होगा। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है कि लैंगिक पूर्वाग्रहों को ठीक किया जाए। इसी तरह महिला और पुरुषों के बीच कैरियर और पदोन्नति को लेकर जो भी विसंगतियां है उन्हें दूर करने के लिए वास्तविक मानक तैयार करना चाहिए। महिलाओं को कार्य बल में शामिल करने के लिए जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वह घर के देखभाल की है। पुरुष को भी घर की देखभाल का बोझ महिला के समान साझा रूप से करने की व्यवस्था होनी चाहिए। कार्यस्थल पर चाइल्ड केयर की सुविधाओं पर भी निवेश बढ़ाना होगा।

इस कार्य में महिला कुपोषण भी एक अहम समस्या है। अक्सर महिलाएं एनमिक होती हैं जो उनके कार्य क्षमता को प्रभावित करती हैं, उचित पोषण के अभाव में महिलाएं खराब स्वास्थ्य से पीड़ित हैं, उनकी कार्यक्षमता घट गई है। वर्ल्ड इकोनामिक फोरम की जेंडर गैप रिपोर्ट में बताया गया है कि पोषण सुविधा, काम की परिस्थितियों में लचीलापन, देखभाल, सहायता आदि के जरिए महिलाओं को कार्यबल में भारी संख्या में जोड़ा जा सकता है, इसके लिए राज्यों को भी अपने स्तर पर तैयारी करनी चाहिए। कुल मिलाकर यह एक अच्छी पहल है। कार्यबल में महिलाओं की तादाद बढ़ेगी तो देश आगे बढ़ेगा पर सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने से बात नहीं बनेगी इसके लिए सबको साथ मिलकर कार्य योजना के अनुरूप कदम से कदम होगा। अच्छा होगा कि प्रधानमंत्री इसे स्वयं अपने हाथ में ले। ❑❑

सरकारी बैंकों के निजीकरण की नीति गलत

सरकारी बैंकों का निजीकरण फिर एक बार चर्चा में है। इस बार रिजर्व बैंक के अगस्त 2022 की बुलेटिन में इस विषय पर एक लेख छपा है जिसमें सरकारी बैंकों की कार्य प्रणाली को निजी बैंकों की तुलना में सराहा गया है। भारत में स्वतंत्रता के पहले और बाद में 20 से ज्यादा वर्षों तक भारतीय आर्थिक क्षेत्र में निजी बैंकों का बोल बाला था और वे सीमित हाथों में नियंत्रित थे। स्वतंत्रता के बाद जब भारतीय सरकार ने कल्याणकारी राजकीय व्यवस्था की बात की तो यही निजी बैंक उपयोगी नहीं हो पा रहे थे और इसलिए सरकार को 70 दशक के शुरू में बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना पड़ा था। सरकार और सरकारी बाबू के नियंत्रण में आने से और उनके हर बात पर दखल देने के अंदाज से यह बैंक डूबने के कगार पर पहुंच गए और फिर एक बार इनके निजीकरण की बात चली। 1990 के दशक से सरकार ने सब कुछ निजी हाथों में सौपने की नीति अपनाई जिसमें सारे सरकारी बैंकों का निजीकरण करना भी शामिल था। जनमत प्रवाह इसके समर्थन और विरोध में रहा और चर्चाएं भी होती रही।

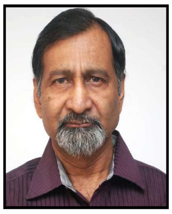

सरकारी होने में कोई वैचारिक दोष नहीं है। व्यवस्थापकीय दोष जहां होता है उसको ठीक करने की कोशिश होनी चाहिए। आशा है सरकार रिजर्व बैंक के विशेषज्ञ की बात मानेगी और सरकारी बैंकों के निजीकारण की नीति में बदलाव लाएगी।
– अनिल जवलेकर

रिजर्व बैंक के विशेषज्ञ क्या कहते है

1990 के दशक से दुनिया भर में निजीकरण की हवा चली और नतीजन गत 4 दशकों में सरकार ने अपनी भागीदारी सभी क्षेत्रों में कम की। बैंकिंग क्षेत्र भी उससे वंचित नहीं है। भारत की बात की जाये तो भारत ने एक एसबीआई छोड़कर सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के निजीकरण की बात की है। इस संदर्भ में सरकारी बैंकों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए विशेषज्ञों के कुछ तथ्य सामने रखे है जो यह बताते है कि राष्ट्रीयकृत बैंक निजी बैंकों की तुलना में किसी भी प्रकार से कम नहीं है। उनका विस्तार ग्रामीण क्षेत्र में निजी बैंकों के तुलना में ज्यादा है और ग्रामीण ऋण में भी उन्हीं की हिस्सेदारी अधिक है। निजी बैंक की तुलना में सरकारी बैंकों ने एटीएम और बीजिनेस करस्पोंडंस मोडेल के तहत सुविधा भी ग्रामीण क्षेत्र में अच्छी दी है। जन धन योजना के अंतर्गत 78 प्रतिशत खाते सरकारी बैंकों में ही है और ऐसे 60 प्रतिशत खाते ग्रामीण क्षेत्र में है। यह बात सही है कि जब फायदे की बात आती

है तो निजी बैंक आगे रहते है। लेकिन यह भी सही है कि जब बात आर्थिक दृष्टि से पिछड़ों को लाभ पहुंचाने की हो तो सरकारी बैंक आगे रहते है। विशेषज्ञों ने यह बात भी स्पष्ट की है कि सरकारी बैंक के श्रम खर्चे निजी बैंक के तुलना में काफी कार्यक्षम है। इसका मतलब सरकारी बैंक कर्मचारी भी कार्यक्षम है। सरकारी बैंक ने कृषि और संलग्न क्षेत्र के लिए ज्यादा महत्व दिया है और निजी बैंक के तुलना में ज्यादा ऋण वितरित किया है। इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को भी सरकारी बैंक ही मदद करते देखे गए है। यह बात भी उल्लेखनीय है की जब अस्तित्व पर खतरा मंडराता है तो डिपॉज़िट निजी बैंक से सरकारी बैंक में जाते है और यह इसलिए होता है कि सरकारी बैंकों के पीछे सरकार खड़ी होती है। यही विश्वास सरकारी बैंक की साख बढ़ाता है। और एक बात जो विशेषज्ञों ने कही है वह यह है कि सरकारी बैंक पूंजी जमा करने में भी आगे रही है।

सरकारी बैंकों का अस्तित्व महत्वपूर्ण है

भारत ने आजादी के 75 वर्ष पूरे किए है और अभी भी आर्थिक नीतियों में स्थिरता नहीं आयी है। आजादी के बाद 35–40 साल भारत सरकार अपने आपको सभी नीतियों की सूत्रधार मानती रही है लेकिन 1990 दशक से कुछ भी करने से झिझक रही है। शुरू में सरकार की आर्थिक नीति सबकुछ अपने हाथ में लेकर करने की थी, जो अब सबकुछ निजी क्षेत्र के हाथों में देने की रह गई है। और यही बात भारत के भविष्य के लिए अच्छी नहीं कही जाएगी। यह विदित है कि निजी क्षेत्र स्वार्थी होता है और सब कुछ अपने फायदे के लिए करता है और यही बात ध्यान में रखकर निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। निजी क्षेत्र की विचारधारा और कार्यप्रणाली अब भी बदली नहीं है। फिर भी सरकार निजीकरण की बात कर रही है।

सरकार ने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण जिन कारणों से किया था वही कारण और वास्तविक स्थिति आज भी वैसे की वैसी है। अब भी ग्रामीण क्षेत्र विकास के लिए तरस रहा है और ऋण व्यवस्था आज भी जरूरी बदलाव ला सकती है।

सरकारी हस्तक्षेप कम हो

सरकार ने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण जिन कारणों से किया था वहीं कारण और वास्तविक स्थिति आज भी वैसे की वैसी है। अब भी ग्रामीण क्षेत्र विकास के लिए तरस रहा है और ऋण व्यवस्था आज भी जरूरी बदलाव ला सकती है। यह बात सही है कि सरकार ने जबसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया है, तब से बैंकों में नेता और सरकारी बाबू का हस्तक्षेप बढ़ा है और यही सरकारी बैंकों कि स्थिति खराब होने का कारण है। राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य स्पष्ट थे और हर बार सरकारी निर्देश की बैंकों को जरूरत नहीं थी। फिर भी सरकार की तरफ से नेतागण और बाबू आये दिन हस्तक्षेप कर रहे थे और बैंकों के लेनदेन व्यवहार को कमजोर करते थे। यही हस्तक्षेप वाली नीति बदली तो निजीकरण की बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्यवहारिक तौर पर बैंकों को स्वतंत्रता होनी आवश्यक है। किसको कर्ज दे और किसको न दे, यह बात बैंकों को तय करनी है। उसमें सरकार को कुछ कहना आवश्यक नहीं। सरकार ने अपने बजट द्वारा और अधिनियम द्वारा जो करना है वही करना चाहिए। बाकी सारा नियंत्रण और मार्गदर्शन रिज़र्व बैंक को सुपूर्त करना चाहिए तभी सरकारी बैंक ठीक से काम कर पायेंगी।

व्यवस्थापकीय प्रबंधन ज़िम्मेवार होना भी जरूरी

सरकारी बैंकों में सरकार से कैपिटल लेने जरूरत रहेगी, यह बात भी स्पष्ट है और सरकार ने उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। इसके लिए निजीकरण की बात नहीं करनी चाहिए। हाँ सरकार को उद्योगपतियों ने स्वार्थ हेतू से डुबाये कर्ज की माफी हेतु प्रयास नहीं करने चाहिए। सरकार का पैसा जनता का पैसा है और जब कोई उद्योग पति कर्जा डुबाता है और सरकार उसका हर्जाना देती है तो उसका सीधा नुकसान सामान्य नागरिकों को भुगतना पड़ता है। एक तरफ तो किसान और गरीब को कर्ज माफ करने के खिलाफ आवाज चढ़ाया जाता है और दूसरी तरफ बड़े उद्योगपतियों ने डुबाया हुआ कर्जा सरकार से लेने की बात होती है। इसलिए व्यवस्थापकों की जिम्मेवारी तय होना आवश्यक है।

सरकार रिजर्व बैंक विशेषज्ञों की बात माने

इस विषय में यह समझने की जरूरत है कि हर समस्या का समाधान निजीकरण नहीं है। सरकार को अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए जहां जरूरी हो वहाँ अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी चाहिए और सरकारी क्षेत्र को मजबूत करते हुए अच्छे प्रबंधन का उदाहरण पेश करना चाहिए। सरकारी होने में कोई वैचारिक दोष नहीं है। व्यवस्थापकीय दोष जहां होता है उसको ठीक करने की कोशिश होनी चाहिए। आशा है सरकार रिजर्व बैंक के विशेषज्ञ की बात मानेगी और सरकारी बैंकों के निजीकारण की नीति में बदलाव लाएगी। ❑❑

जीडीपी वृद्धि दुनिया में सबसे ज्यादा

भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानि जीडीपी की वृद्धि दर दुनिया भर के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि आर्थिक रूप से समृद्ध लगभग सभी देशों के बाजार में एक तरह से मुर्दनी छायी हुई है। चालू वित्त वर्ष 2022—23 की पहली तिमाही में भारत के जीडीपी में 13.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो पूरे विश्व में सबसे अधिक है। चीन की पहली तिमाही के जीडीपी में 4.8 प्रतिशत, अमेरिका की पहली तिमाही की वृद्धि दर माइनस 0.6 प्रतिशत, आस्ट्रेलिया की पहली तिमाही में जीडीपी की वृद्धि दर 0.8 प्रतिशत, ब्रिटेन की 0.6 प्रतिशत और जर्मनी की जीडीपी वृद्धि दर 0.10 प्रतिशत रही है। यदि आकार के आधार पर आकलन करे तो भारत की पहली तिमाही की जीडीपी 36.85 लाख करोड़ रही, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 32.46 लाख करोड़ थी।

कहने की जरूरत नहीं है कि भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को ना सिर्फ पटरी पर रखा है, बल्कि विकास का एक बड़ा रोडमैप दुनिया के सामने पेश कर रहा है। लेकिन विकास की इस रफ्तार के साथ आने वाले दिनों की काफी आशंकाएं भी है, जिसका जवाब भारत को ढूंढना है। भले ही हमने इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में एक बेहतर विकास दर हासिल किया है, लेकिन पिछले साल की इसी अवधि में हमने 20 प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि दर हासिल की थी। 13.5 प्रतिशत की वृद्धि दर से कई विशेषज्ञों की उम्मीदों को भी धक्का लगा है। जैसे रिजर्व बैंक का आकलन था कि चालू वित वर्ष की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 16 प्रतिशत से अधिक होगी।

सरकार द्वारा जारी आकड़ों के अनुसार इस पहली तिमाही में कृषि, बागवानी और मछली पालन उद्योग में 4.5 प्रतिशत की तो बिजली, गैस, जल आपूर्ति और अन्य सुविधा सेवाओं में 1.7 प्रतिशत, वित, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाओं में 9.2 प्रतिशत, लोक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाओं में 26.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जो पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले काफी बेहतर हैं। लेकिन खनन, विनिर्माण, कंस्ट्रक्शन और होटल उद्योग में पिछले साल की इस अवधि में गिरावट आई है। घरेलू उपभोक्ता उद्योग सुधरा है पर निर्यात कम और आयात बहुत ज्यादा बढ़ा है।

भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को ना सिर्फ पटरी पर रखा है, बल्कि विकास का एक बड़ा रोडमैप दुनिया के सामने पेश कर रहा है।

— विक्रम उपाध्याय

अब अगले तीन महीने की यानी जुलाई से लेकर सितंबर तक के नंबर पर यह निर्भर करेगा कि भारत वर्ष के अंतिम में सात फीसदी से अधिक की वृद्धि दर हासिल करता है कि नहीं। आगे वाले दिनों के प्रति दुनिया के तमाम अर्थशास्त्री एवं बड़े संस्थान आशंकित हैं कि रूस–यूक्रेन युद्ध और जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़ और सूखे की विभीषिका के चलते आर्थिक मंदी छाने वाली है। निश्चित रूप से भारत भी इससे प्रभावित रहेगा। रिजर्व बैंक ने भी अगले तीन तिमाहियों के लिए जो अनुमान लगाया है, उसके अनुसार दूसरी तिमाही की जीडीपी में वृद्धि दर 6.2 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 4.1 प्रतिशत और अंतिम तिमाही की जीडीपी वृद्धि दर 4 प्रतिशत की हो सकती है। रिजर्व बैंक ने पूरे साल की जीडीपी वृद्धि दर में 7.2 प्रतिशत का अनुमान व्यक्त किया है। यदि हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो भी हम दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यस्था का तमगा हासिल कर सकते हैं।

यदि 7 फीसदी से अधिक की वृद्धि दर हासिल होती है तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका रिजर्व बैंक की ही रहने वाली है, क्योंकि ब्याज दर बढ़ा कर बाजार में सहज पूंजी की व्यवस्था नहीं हो सकती। दुनिया के अन्य देशों के केंद्रीय बैंकों की तरह रिजर्व बैंक भी लगातार ब्याज दर बढ़ाता जा रहा है। मई से लेकर अभी तक ब्याज दरों में 1. 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो चुकी है और अंदाज लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में आरबीआई ब्याज दर और बढ़ा सकता है। ब्याज दर बढ़ाने का सीधा असर लोगों की खर्च करने की क्षमता पर पड़ता है और हमारे यहां 55 प्रतिशत आर्थिक गतिविधियां उपभोक्ता खर्च की होती हैं। आरबीआई का मानना है कि महंगाई दर पर काबू करने के लिए ब्याज दर बढ़ाना एक बेहतर

आने वाले दिनों में भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने कई चुनौतियां हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध और चीन-ताइवान की तनातनी से पेट्रोलियम समेत कई पदार्थों के महंगे आयात पर मजबूर होना पड़ेगा, जिसके कारण इंडस्ट्री का इनपुट कॉस्ट बढ़ेगा ही।

विकल्प है और इसका असर भी दिखाई दिया है। जुलाई में खुदरा मुद्रास्फीति की दर मई और जून के मुकाबले कम हुई है। जुलाई में महंगाई दर 6.71 प्रतिशत पर आकर ठहरी, जबकि मई और जून में महंगाई वृद्धि दर 7 फीसदी से अधिक रही।

उच्च विकास दर के बावजूद अर्थव्यवस्था के लिए कुछ खतरे भी दिखाई दे रहे हैं। जैसे इस बार पिछले साल के मुकाबले खरीफ की बुवाई कम हुई है, क्योंकि मॉनसून ने कहीं बहुत ज्यादा तो कहीं बहुत कम वर्षा का अनुदान दिया है। कृषि उपज की वृद्धि दर में आने वाली कोई भी गिरावट सीधे जीडीपी के नंबर को प्रभावित करेगी। कृषि उपकरण खासकर ट्रैक्टर की बिक्री में जो गिरावट मई और जून के महीने में देखी गई है, उससे तो यही लगता है कि कृषि आय लोगों की कम हुई है। लेकिन ट्रांसपोर्ट बिजनेस में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। रेलवे की माल ढुलाई, बंदगाहों पर जहाजों का आना जाना, ई वे बिल्स और टोल की कमाई बढ़ी है और साथ में कमर्शियल वाहनों की बिक्री में भी बढ़ोतरी हुई है।

एक और निराशाजनक बात यह रही है कि उत्पादन क्षेत्र में लगातार गिरावट देखी जा रही है। पिछले चार महीने से लगातार मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर में मंदी देखी जा रही है। रिजर्व बैंक का कहना है कि अब धीरे–धीरे उत्पादन की इकाइयां अपनी पुरानी उत्पादन क्षमता की ओर बढ़ रही हैं, अब जरूरत है कि इस क्षेत्र में कुछ ताजा निवेश किया जाए। लेकिन रिजर्व बैंक को यह जवाब देना पड़ेगा कि बढ़ते ब्याज दर के साथ ताजा निवेश किस तरह बढ़ेगा।

आने वाले दिनों में भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने कई चुनौतियां हैं। रूस–यूक्रेन युद्ध और चीन– ताइवान की तनातनी से पेट्रोलियम समेत कई पदार्थों के महंगे आयात पर मजबूर होना पड़ेगा, जिसके कारण इंडस्ट्री का इनपुट कॉस्ट बढ़ेगा ही। एक और बड़ी चुनौती पेश कर रहा अमेरिका का सेंट्रल बैंक, जो लगातार ब्याज की दरें बढ़ा रहा है। इसका सीधा असर हमारे शेयर बाजार, विदेशी पूंजी निवेश और रुपये की कीमत पर पड़ेगा। पिछले महीने अमेरिका 75 प्वायंट बेसिस पर ब्याज दर बढ़ा चुका है। यानी पौन प्रतिशत। मजबूरन रिजर्व बैंक को भी अपनी ब्याज दर बढ़ानी पड़ेगी। रुपये का अवमूल्यन काफी तेजी से पहले ही हो रहा है। रुपया प्रति डॉलर 80 से अधिक जा चुका है। यह देश में महंगाई का भी कारण बनेगा। खासकर आयात इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगा।

अमेरिका में ही ऊंची ब्याज दर होने पर वहां के निवेशक भारत में निवेश करने के बजाय यहां से पूंजी निकाल कर अपने देश ले जाएंगे, जिससे शेयर बाजार पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। लेकिन गनीमत यह है कि दुनिया के अन्य बाजारों के मुकाबले भारत का बाजार अभी भी विदेशी निवेशकों के लिए बेहतर विकल्प है। भारत को दुनिया के सामने खड़े होने के लिए 7 फीसदी की विकास दर हासिल करना ही होगा। यह चुनौती तो है, लेकिन एक अवसर भी है। ❑❑

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।)

क्या सही होगा डिजिटल लेनदेन पर शुल्क?

पिछले कुछ वर्षों में ऑनलाइन भुगतान का चलन काफी बढ़ गया है और यह लगातार बढ़ता ही जा रहा है। यूपीआई, भीम, फोनपे, पेटीएम आदि नाम आज हर घर में सुनने को मिल रहे हैं। यह सच है कि ऑनलाइन यानी डिजिटल भुगतानों का चलन पूरी दुनिया में बढ़ा है लेकिन दुनिया में भी सबसे ज्यादा यह भारत में बढ़ा है। 20 हजार करोड रुपए के डिजिटल लेनदेन प्रतिदिन हो रहे हैं। मार्च 2022 में तो यह राशि 10 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी। नेशनल पेमेंट्स कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया (एनपीसीआई) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में 10.62 खरब रुपए के 628 करोड लेनदेन जुलाई माह में हुए। पिछले एक साल में इन भुगतानों की संख्या दोगुनी हो गई है, जबकि कुल डिजिटल भुगतान की राशि में 75 प्रतिशत वृद्धि रिकॉर्ड हुई है।

डिजिटल भुगतानों का फायदा

आज बिना अपना पर्स खोलें, अपने मोबाइल के मात्र एक क्लिक पर हम एक रुपए से हजारों लाखों का लेनदेन कुछ सेकंडो में ही कर सकते हैं। इस लेन–देन में सावधानी रखने और गलती न करने पर अत्यंत त्वरित एवं सुरक्षित भुगतान हो जाता है और किसी भी प्रकार का धोखा भी नहीं होता। हालांकि बैंकों से राशि अंतरित करने पर कुछ चार्ज देना पड़ता है लेकिन अभी तक यूनीफाईड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के माध्यम से भुगतान करने पर कोई चार्ज नहीं लगता। ऐसे में लेनदेन सुगम हो जाता है और बिजनेस में लागत भी घटती है।

लेन–देन का व्यवहार मुफ्त में होने का मतलब यह है कि बिजनेस में लागत का घटना। यह सर्वथा सत्य है कि बिजनेस की लागत कीमत बढ़ाती है और वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराना महंगा होता है। ऐसे में यदि धन का लेनदेन सुविधाजनक तरीके से बिना लागत के हो जाए तो लागत में किफायत हो जाती है और ऐसा होने पर कीमत घटती है और बिजनेस के लाभ भी बढ़ते हैं।

बिजनेस में सुविधा में लेनदेन की लागत घटाया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण आयाम है। भुगतान की सुविधा बिजनेस को भी विस्तार देती है। आज हम देखते हैं कि छोटे से छोटे विक्रेता भी अपनी रेहड़ी और पटरी पर भी 'क्यूआर कोड' लगाकर ऑनलाइन भुगतान

ऐसे में जब भारत डिजिटल भुगतान में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है और दुनिया के देश भारत की यूपीआई को अपनाने हेतु भी तत्पर हो रहे हैं, भारत में डिजिटल भुगतान और शुल्क लगाकर इस विकास यात्रा में बाधा खड़ी करना सही नहीं होगा।

– स्वदेशी संवाद

स्वीकार करते दिखते हैं। ग्राहकों की सुविधा के साथ उनके व्यवसाय की सुविधा में और विस्तार होता है।

डिजिटल भुगतान पर शुल्क की कवायद

हाल ही में रिजर्व बैंक ने जनता से डिजिटल भुगतान पर शुल्क लगाए जाने के बारे में जनता से राय मांगी है। उसके साथ ही यह बहस शुरू हो गई है कि डिजिटल भुगतान पर शुल्क लगाना क्या सही कदम होगा? साथ ही इस रायशुमारी का विरोध भी हो रहा है। इस विरोध को थामने के लिए वित्त मंत्रालय ने यह बयान जारी किया है कि फिलहाल सरकार की डिजिटल लेनदेन पर शुल्क लगाने की कोई मंशा नहीं है। इस संबंध में सेवा प्रदाताओं को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए सरकारी मदद समेत दूसरे उपायों पर विचार किया जाएगा।

क्यों सही नहीं है डिजिटल भुगतान पर शुल्क

लेन–देन की लागत देश में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण में एक प्रमुख प्रकार की लागत होती है। गौरतलब है कि जितनी अधिक लेनदेन की लागत होगी वह वस्तु अथवा सेवा की कीमत को प्रभावित करेगी। यानी लेनदेन की लागत अधिक होने पर वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत भी बढ़ेगी।

लेन–देन की लागत का अर्थशास्त्र में कितना महत्व है यह इस बात से पता चलता है कि वर्ष 2009 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के विजेता ओलिवर विलियमसन ने अपना पूरा आर्थिक चिंतन लेनदेन की लागत पर ही किया था और उन्हें 'लेनदेन लागत अर्थशास्त्री' के रूप में ही जाना जाता है। हालांकि उन्होंने लेनदेन लागत के विविध पक्षों पर अपना अध्ययन प्रस्तुत किया। लेकिन यदि लेनदेन की कीमत का महत्व समझा जाए तो इस विषय का आर्थिक विश्लेषण एवं जांच होना जरूरी है कि यदि हर डिजिटल भुगतान पर शुल्क लगा दिया जाए तो उससे अंतिम वस्तु एवं सेवा की पहुंच कीमत में कितनी वृद्धि हो जाएगी।

वित्त मंत्रालय ने भी अपने बयान में कहा है कि डिजिटल भुगतान का तंत्र एक मायने में 'पब्लिक गुड' है जिसके लिए बजट से प्रावधान करना जरूरी है। अर्थशास्त्र में दो प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं की बात कही जाती है – एक, पब्लिक गुड और दूसरी, प्राइवेट गुड। पब्लिक गुड के बारे में मान्यता यह होती है कि यदि उसे सरकार उपलब्ध कराए तो वह जनता के लिए ज्यादा लाभकारी होगा। कुछ ऐसी वस्तु और सेवाएं होती है कि यदि शुल्क लगाकर शुल्क न देने वालों को उस सेवा से दूर कर दिया जाता है तो उसका समाज को कोई लाभ नहीं होता। हमारा डिजिटल भुगतान का तंत्र बना हुआ है तो ऐसे में यदि हम डिजिटल भुगतानों से उन लोगों को अलग कर दें जो शुल्क देने के लिए तैयार नहीं तो उसका समाज को नुकसान होगा और लागत भी बढ़ेगी और असुविधा भी। इसलिए वित्त मंत्रालय का यह बयान स्वागत योग्य है।

हाल ही में एक आंकड़ा सामने आया है कि भारत में डिजिटल भुगतानों की सुविधा के कारण और देश में मोबाइल क्रांति के चलते दुनिया भर के 40 प्रतिशत से अधिक डिजिटल लेनदेन भारत में होते हैं। स्वाभाविक है कि डिजिटल भुगतान की सुविधा और उनके निशुल्क होने के कारण भारतीय उत्पादों और सेवाओं की लागत और कीमत निश्चित तौर पर कम हो जाएगी। जब तक डिजिटल भुगतान निशुल्क बने रहते हैं, भारतीय निर्यातों की प्रतिस्पर्धा शक्ति भी अधिक होगी और भारत के निर्यात में वृद्धि होगी। यदि सरकार को डिजिटल भुगतानों को निशुल्क रखने के लिए बजट से प्रावधान भी देना पड़े तो भी वह सही होगा। साथ ही साथ विश्व व्यापार संगठन में भी अन्य देशों द्वारा इस पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की जा सकती।

भारत बन सकता है दुनिया का डिजिटल हब

आज भारत डिजिटल लेन–देन में केवल आगे ही नहीं बढ़ा, बल्कि उसमें आत्मनर्भरता भी हासिल की है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) 'रुपे कार्ड' के संचालन के साथ–साथ सभी डिजिटल बैंकिंग लेनदेन को संचालित करती है। एनपीसीआई यूनीफाईड पेमेंट्स इंटरफेस का भी संचालन करती है। इस प्रकार एनपीसीआई यूपीआई की मदद से ग्राहकों और बिजनेस के बीच डिजिटल सेतु का काम तो करती हैं, निजी लेनदेन को भी सुविधाजनक बना रही है। यूपीआई के कारण सभी सेवा प्रदाताओं के बीच समन्वय भी बन रहा है। यूपीआई के माध्यम से हम अपने बैंक खाते से संबंधित संवेदनशील जानकारियां साझा किए बिना राशि का अंतरण कर सकते है और वो भी बिना किसी लागत के। आज भारत के यूपीआई का उदाहरण दुनिया में दिया जा रहा है और यह अमेरिकी, यूरोपीय एवं अन्य देशों की भुगतान प्रणालियों से कहीं बेहतर आंका जा रहा है। कहा जाता है कि यूपीआई दुनिया की बेहतरीन भुगतान प्रणाली है।

ऐसे में जब भारत डिजिटल भुगतान में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है और दुनिया के देश भारत की यूपीआई को अपनाने हेतु भी तत्पर हो रहे हैं, भारत में डिजिटल भुगतान और शुल्क लगाकर इस विकास यात्रा में बाधा खड़ी करना सही नहीं होगा। यही नहीं हाल ही में रूस और भारत ने डिजिटल भुगतानों के लिए हाथ मिला लिया है। ऐसे में यदि दूसरे मुल्क भी भारत के साथ डिजिटल लेनदेन में सहयोग करते हैं, तो भारतीय रूपए को भी ज्यादा मान्यता मिलेगी। जरूरत है भारत की मिसाल देकर भारत को दुनिया का डिजिटल हब बनाने की। ❑❑

डिजिटल पेमेंट में विदेशी वर्चस्व, भारत के लिए खतरे की घण्टी

रुस–यूक्रेन युद्ध के दौरान जब अमेरिका ने रुस पर आर्थिक प्रतिबंधों की घोषणा की, तब मास्टर कार्ड, वीजा सहित कई दिग्गज कंपनियों ने रुस से अपने कारोबार को समेट लिया। उन्होंने रुस के लोगों से जो भी सेवा प्रदाता के रुप में वायदे किये थे वो सब तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिये। इस तरह से एक बार फिर मल्टीनेशनल कंपनियों के व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्वदेशी एवं आत्मनिर्भरता पर एक बहस आरम्भ हो गयी है। इसी आलोक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि रूस–यूक्रेन युद्ध से उत्पन्न स्थितियों से निपटने के लिए आत्मनिर्भरता सबसे उपयुक्त रणनीति है।

ज्ञातव्य है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता इसका अपना बाजार है। देश के 130 करोड़ के लोगों पर दुनिया भर की कंपनियां एक बाजार के रुप में ही देखती है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के आकड़ों की माने तो वर्तमान में भारत में 500 मिलियन स्मार्टफोन उपभोक्ता, 1.2 बिलियन आधार और एक बिलियन मोबाईल फोन उपभोक्ता हैं। इन आकडों के आधार पर ऐसा अनुमान है कि आगामी तीन से पाँच वर्षो में भारत में यूपीआई लेन–देन वर्तमान की तुलना में पाँच गुना हो सकता है। अगर केवल जून 2022 की बात करें तो 5.86 बिलियन ट्रान्जेक्शन से 10 लाख करोड़ से ज्यादा का लेन देन हुआ है। भारत के आत्मनिर्भरता अभियान के समक्ष सबसे बड़ी चिन्ता की बात यह है कि डिजिटल लेन देन में विदेश की दो कंपनियों वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली फोन–पे और गूगल–पे की हिस्सेदारी 80 प्रतिशत से भी ज्यादा है। इस तरह की विदेशी नियंत्रण की एकाधिकारी प्रवृत्ति भारत के आम लोगों के लिए कदापि अच्छा नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के सफलतम अभियान में से एक डिजिटल इण्डिया को यूँ विदेशी कम्पनियों के चंगुल में नहीं छोड़ा जाना चाहिये।

उल्लेखनीय है कि यूपीआई को विदेशी कंपनियों द्वारा खतरनाक रूप से नियंत्रित किया जाना और एनपीसीआई द्वारा मार्केट कैप पर किसी भी समय सीमा का विस्तार स्थिति को और वीभत्स कर सकता है।

प्रधानमंत्री मोदी के सफलतम अभियान में से एक डिजिटल इण्डिया को यूँ विदेशी कम्पनियों के चंगुल में नहीं छोड़ा जाना चाहिये।

– मुनिशंकर पाण्डेय

जब से भारत में यूपीआई की शुरुआत हुई है, तब से पेमेंट मोड एक बड़ी हिट बन गया है। जून, 2022 में 5.86 बिलियन से अधिक लेनदेन के साथ, फ्रांस में अपने विस्तार के साथ वैश्विक मान्यता प्राप्त करने, यूपीआई भारत में डिजिटल भुगतान का एक प्रमुख हिस्सा बन गया है। हालांकि यह आश्चर्यजनक है कि यूपीआई के भारतीय नवाचार को दो विदेशी कंपनियों – यूएस–आधारित वॉलमार्ट के स्वामित्व वाले फोनपे और गूगलपे द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जबकि आईटी और स्टार्टअप्स के क्षेत्र में दुनिया के शीर्ष देशों में भारत का नाम शुमार है।

उल्लेखनीय है कि नवंबर 2020 में, एनपीसीआई ने एक साहसिक कदम ने घोषणा की थी कि यूपीआई लेनदेन पर एक मार्केट कैप होगा। इसे भारत के दीर्घकालिक हितों को ध्यान में रखते हुए एक सराहनीय कदम के रूप में स्वागत भी किया गया था, क्योंकि इस नियम से विदेशी कंपनियों फोन पे और गूगल पे के एकाधिकारी प्रवृत्ति को रोकने में सहायता मिलती। इसका मतलब था कि थर्ड पार्टी ऐप्स की यूपीआई में 30 प्रतिशत से अधिक का मार्केट शेयर नहीं हो सकती है। यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि भारतीय फिनटेक, किसी एक खिलाड़ी द्वारा नियंत्रित नहीं रहेगा जिससे जब भी वो खिलाड़ी विफल हो तो पूरा यूपीआई व्यवस्था ही न गड़बड़ हो जाये।

वर्तमान में, फोनपे और गूगलपे जैसी विदेशी कंपनियां जो थर्ड-पार्टी एग्रीगेटर हैं, वे भारतीय रिजर्व बैंक के दायरे में भी नहीं आते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने भी बार–बार भारतीय फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र पर बिगटेक और विदेशी कंपनियों के नियंत्रण के बारे में बात की है। इससे पहले मास्टरकार्ड और वीज़ा जैसी कंपनियों ने भुगतान उद्योग पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया था। हालाँकि, भारत के परिवर्तनकारी नियमों और देश में व्यापार करने में आसानी ने भारतीय कंपनियों को देश में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम बनाया है।

वर्तमान में, फोन पे और गूगल पे जैसी विदेशी कंपनियां जो थर्ड–पार्टी एग्रीगेटर हैं, वे भारतीय रिजर्व बैंक के दायरे में भी नहीं आते हैं। इन विदेशी कम्पनियों के पास न तो लाइसेंस है और न ही उन पर सीधे तौर पर बैंकिग क्षेत्र के दिशा–निर्देश लागू होते है। वे केवल अपने प्रायोजित बैंकों की विश्वसनीयता पर काम कर रहे हैं, जो सभी जिम्मेदारी वहन करते हैं। भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों (पीएसओ) भारतीय रिजर्व बैंक के नियम सीधे इन ऐप ऑपरेटरों पर लागू नहीं होते हैं। उन्हें अपनी सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट (एसएआर) साल में केवल एक बार जमा करनी होती है। यह भारत में यूपीआई में 80 प्रतिशत से अधिक बाजार हिस्सेदारी को नियंत्रित करने के बाद भी है।

एनपीसीआई के बारे में रिपोर्टों के दौर में संभवतः यूपीआई मार्केट कैप की समय सीमा जनवरी 2023 से आगे बढ़ा दी गई है, इससे इन कंपनियों को भारतीय बाजार पर नियंत्रण रखने और असंतुलन पैदा करने के लिए अधिक समय मिलता है। यह भारतीय फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक गंभीर खतरा है, जिसमें भारतीय कंपनियों को सबसे आगे होना चाहिए और एकाधिकार नहीं होना चाहिए।

भारतीयों के सर्वोत्तम हितों को सुनिश्चित करने और उनकी रक्षा करने के लिए फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन लाना और यूपीआई बाजार में एकाधिकार को तोड़ना महत्वपूर्ण है। थर्ड–पार्टी ऐप्स को भुगतान प्रणाली ऑपरेटर के रूप में आरबीआई के प्रत्यक्ष नियंत्रण के तहत आना चाहिए, जिसमें सीईआरटी और आरबीआई ऑडिट के माध्यम से भारतीय नियमों और प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। ❑❑

(लेखक, नीति विश्लेषक एंव आर्थिक मामलों के जानकार है)

:: सूचना ::

स्वदेशी पत्रिका आर्थिक सम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते है। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आसपास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवदेना है और आप शब्दों में उसे लिख सकते है तो हमें अवश्य लिख भेजें। साथ ही स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ नए विषयों का समायोजन चाहते हैं कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।

संपादक, स्वदेशी पत्रिका

'धर्मक्षेत्र', सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

महंगाई में नरमी, अब नौकरी और ग्रोथ बढ़ाने पर जोर

भारत डिजिटल पेमेंट सिस्टम में जिस तेजी से आगे बढ़ा है, उसके मुकाबले विकसित देश बहुत पीछे रह गए हैं। कोरोना महामारी में भारत के मजबूत डिजिटल सिस्टम ने बिना किसी खामी के भारतीय लाभार्थियों तक सही तरीके से और तेजी से मदद पहुंचाने में भी अहम भूमिका निभाई है। अमेरिका और जर्मनी समेत यूरोपीय देश भले ही विकसित और धनी देशों की सूची में शामिल हों, लेकिन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी देशवासियों तक ऑनलाइन फायदे पहुंचाने के मामले में भारत का कोई मुकाबला नहीं है। हाल ही में प्रकाशित हुई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जर्मनी में लोगों के बैंक खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर करने का कोई ठोस इंतजाम नहीं है। जर्मन बैंक एक दिन में महज एक लाख लोगों को ही उनके खाते में पैसा भेज सकते हैं। वहां के बैंकों में खातों को पेन जैसे आईडी से लिंक करने में दो साल का समय लग सकता है। भारत में वित्त वर्ष 2021–22 में रोज 90 लाख लोगों के खातों तक सरकार ने सीधे पैसा पहुंचाया, इस ट्रांसफर की गति में अमेरिका भी भारत से पीछे है।

जो लोग भारत में मंदी की अफवाहें फैलाते हैं उन्हें राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की ओर से जारी जीडीपी के आंकड़ों पर गौर कर लेना चाहिए। विपक्ष के नेता सरकार पर आरोप लगाते हैं कि मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है और बेरोजगारी बढ़ रही है तो उन्हें सबसे पहले एनएसओ के आंकड़े देखने चाहिए। यह आंकड़े बताते हैं कि भारत दुनिया में सबसे तेज आर्थिक वृद्धि हासिल करने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। यही नहीं देश में बेरोजगारी भी कम हो रही है, क्योंकि सरकार की नीतियों की बदौलत रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ रहा है, इसके अलावा जीएसटी कलेक्शन का भी देश में नया रिकॉर्ड बनने वाला है। यानी विकास परियोजनाओं के लिए सरकार के पास पैसों की कमी नहीं होगी। माना जा रहा है कि आरबीआई ने जो कदम पिछले दिनों उठाए हैं उसके चलते महंगाई भी धीरे–धीरे कम हो रही है। बहुत सी वस्तुओं के दामों में कमी आनी शुरू हो चुकी है। जरूरी खाद्य वस्तुओं के निर्यात पर रोक लगाने के अलावा जिस तरह दलहन और चना का आवंटन राज्यों को बढ़ाया गया है उससे लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। यही नहीं खाद्य तेलों के दामों में कमी के सरकारी प्रयास भी धीरे–धीरे रंग ला रहे हैं।

अन्य बड़ी अर्थव्यवस्था में नरमी के संकेतों के बीच भारत की वृद्धि दर बेहतर होने से वैश्विक निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और देश में निवेश आकर्षित करने में काफी मदद मिलेगी।
–स्वदेशी संवाद

भारत में रोज औसतन 28.4 करोड़ डिजिटल लेनदेन होते हैं या दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। साल 2021 के आंकड़े बताते हैं कि ग्लोबल रियल टाइम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में अकेले भारत की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत है। वर्ष 2021 में भारत ने 48.0 अरब रियल टाइम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की है जो चीन से 2.6 गुना ज्यादा थे। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के कुल ट्रांजेक्शन को मिला दे तो भारतीय ट्रांजैक्शन उससे 6.5 गुना अधिक रहे।

दरअसल भारत में मोबाइल फोन, पहचान पत्र और बैंक अकाउंट की लिंकिंग से देशवासियों के खाते तक सीधे पैसा ट्रांसफर करना अब बहुत आसान हो गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को ही अगर देखें तो बस एक क्लिक में लगभग 10 करोड लाभार्थियों में से प्रत्येक के खाते में 6000 रू. की मदद पहुंच जाती है। एक महीने पहले ही इस योजना में 1900 करोड़ रुपए किसानों के बीच पल भर में बांट दिए गए थे। वित्त वर्ष 2021–22 में 8800 करोड़ से ज्यादा डिजिटल ट्रांजेक्शन हुए हैं। मौजूदा वित्त वर्ष में ही जुलाई तक तीन हजार तीन सौ करोड़ से ज्यादा के लेनदेन पूरे हुए। चालू वित्त वर्ष 2022–23 में अब तक 566 लाखों रुपए का डिजिटल ट्रांजैक्शन किया जा चुका है, यह ट्रांजेक्शन लगातार बढ़ भी रहे हैं। यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई ट्रांजेक्शन को देखें तो इस साल अगस्त में 10.72 लाख करोड रुपए के कुल 6.57 अरब ट्रांजैक्शन हुए, यह जुलाई से 4.62 प्रतिशत ज्यादा है। बीते साल अगस्त से तुलना करें तो 85 प्रतिशत ट्रांजेक्शन बढ़ गए हैं। डिजिटल लेनदेन ही नहीं बिना पेनाल्टी इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई को देश में 72.42 लाख रिटर्न दाखिल हुए, एक दिन में इतनी तादाद में रिटर्न फाइल होने का यह एक रिकॉर्ड है। आधार बनवाने में भी लोग पीछे नहीं है, इसे जारी करने वाली संस्था यूआईडीएआई ने कहा है कि जुलाई में 53 लाख नए आधार कार्ड बने हैं, इस दौरान 1.47 करोड आधार कार्ड अपडेट किए गए।

कोविड के दौरान भी देश में डिजिटल मुहिम जारी रही। भारत सरकार ने कोविड टीका लगवाने वालों के लिए कोविड प्लेटफार्म बनाया, इसमें टीके का सेंटर तारीख और समय चुनने की ऑनलाइन व्यवस्था की गई। आज देश में 100 करोड़ से ज्यादा डोज बिना किसी परेशानी के लग चुके हैं, जो डिजिटल मीडिया की सफलता का परिचायक है। इसका लोहा दुनिया ने माना है और कई देशों ने भारत से सीख ली है।

इस बीच वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि महंगाई कम होकर सहन करने के स्तर पर आ गई है। सरकार अब यह सुनिश्चित करेगी कि रोजगार का सृजन अधिक संख्या में हो, धन का समान वितरण हो ताकि विकास में तेजी का लाभ सभी तक पहुंच सके। वही वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि साल 2047 से 2050 तक जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे कर रहा होगा तब भारत कम से कम 30 हजार अरब डालर की अर्थव्यवस्था होगा और सरकार की योजनाएं काम कर गई तो अर्थव्यवस्था कम से कम 35 हजार से 45 हजार अरब डालर की होगी।

वित्तमंत्री ने एक कार्यक्रम के दौरान जोर देकर कहा कि महंगाई में मौजूदा नरमी का रुख यह बताता है कि अब देश में आर्थिक ग्रोथ को बढ़ाने वाले काम को गति मिलेगी। आधिकारिक आंकड़ों को देखें तो जुलाई में खाद्य वस्तुओं के दाम में नरमी से रिटेल महंगाई दर कम होकर 6.71 प्रतिशत पर आ गई है। हालांकि यह आरबीआई की संतोषजनक स्तर की उच्च सीमा 6 प्रतिशत से लगातार ऊपर बनी रही। जून 2022 में रिटेल महंगाई दर 7.01 प्रतिशत थी।

मालूम हो कि भारत की जीडीपी अब कोरोना काल से पहले के स्तर से करीब 4 प्रतिशत अधिक है, इसके अलावा जिस तरह से वृद्धि को खपत से गति मिली है उससे संकेत मिलता है कि खासकर सेवा क्षेत्र में घरेलू मांग पटरी पर आ रही है। महामारी के असर के कारण दो साल तक विभिन्न पाबंदियों के बाद अब खपत बढ़ती दिख रही है। लोग खर्च के लिए बाहर आ रहे हैं। सेवा क्षेत्र में तेजी देखी जा रही है और आने वाले महीनों में त्योहारों के दौरान इसे और अधिक गति मिलने की उम्मीद है। अब जीडीपी का आंकड़ा बेहतर होने से रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति को काबू में लाने पर ध्यान दे सकेगा। यहां उल्लेखनीय यह भी है कि खुदरा महंगाई दर अभी आरबीआई के संतोषजनक स्तर यानी 6 प्रतिशत से ऊपर बनी हुई है, लेकिन इसके लगातार नीचे आने के संकेत मिल रहे हैं।

जहां तक बेरोजगारी के आंकड़े की बात है तो शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर अप्रैल–जून 2022 के दौरान सालाना आधार पर 12.6 प्रतिशत से घटकर अब 7.5 प्रतिशत रह गई है। वर्तमान आंकड़े यह इशारा कर रहे हैं कि कोरोना महामारी से बढ़ी बेरोजगारी के दुष्चक्र से अब धीरे–धीरे बाहर निकल रहे हैं।

बहरहाल इन आंकड़ों पर गौर करें तो माना जा सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में 7 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर हासिल करने की ओर बढ़ चली है। सरकार को बस चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 6.4 प्रतिशत पर बनाए रखना होगा। यह आंकड़े यह भी बताते हैं कि अन्य बड़ी अर्थव्यवस्था में नरमी के संकेतों के बीच भारत की वृद्धि दर बेहतर होने से वैश्विक निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और देश में निवेश आकर्षित करने में काफी मदद मिलेगी। ❑❑

कृषिः आत्मनिर्भरता से बस कुछ ही दूर...

सन् 1955 में लालकिले के प्राचीर से संबोधित करते हुए देश के पहले प्रधानमंत्री ने कहा था, ''किसी देश के लिए भोजन–सामग्री आयात करना काफी शर्मसार करने वाला होता है। इसलिए हर चीज इंतजार कर सकती है लेकिन कृषि नहीं।' उन्होंने जरूरी बुनियादी ढ़ांचे की नींव रखी, जिसने आगे चलकर देश में प्रसिद्ध हरित क्रांति की शुरूआत करने में मदद की।

कृषि विश्वविद्यालय की शुरूआत

17 नवंबर, 1960 को उत्तर प्रदेश के पंतनगर में पहले कृषि विश्वविद्यालय की शुरूआत हुई। जब मैंने पंतनगर में जीबी पंत कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय में 58वें स्थापना दिवस पर व्याख्यान दिया, तो मुझे खासतौर पर याद आया कि प्रथम प्रधानमंत्री को विज्ञान से कितनी ज्यादा उम्मीदें थीं और वे यह भी मानते थे कि अकेले कृषि शोध विकास की मजबूत नींव प्रदान कर सकता है। इसके बाद वर्ष 1962 में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना की स्थापना हुई। वर्ष 1963 में भाखड़ा बांध देश को समर्पित किया गया। इस तरह कई तरीकों से नेहरू ने ही उस बुनियादी ढ़ाचे की नींव रखी, जिसे बाद में हरित क्रांति कहा गया। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि किसानों ने किस समर्पण का प्रदर्शन करते हुए देश को उस दौर से बाहर निकालने का प्रयास किया, जिसे कई लेखकों ने सामूहिक नरसंहार का उपयुक्त मामला बताया था। दरअसल उस समय हमारा देश बस किसी तरह से जीवित था, जिसे आमतौर पर शिप टू म्काउथ अस्तित्व के रूप में जाना जाता था। इसका मतलब यह है कि भोजन की सहायता के साथ आबादी के बड़े हिस्से को भूख और भुखमरी से बचाया जाता है।

दुग्ध क्रांति की सफलता

सन् 1964 में पंडित नेहरू के निधन के बाद उनके उत्तराधिकारी लाल बहादुर शास्त्री ने दुग्ध क्रांति की शुरूआत की, जिस लोग श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं। इसके बाद आई

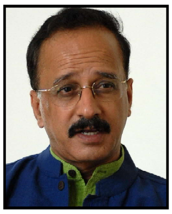

आईये, हम अतीत की प्रभावशाली उपलब्धियों पर नवनिर्माण करें और एक ऐसी कृषि व्यवस्था तैयार करें, जो न केवल आर्थिक रूप से व्यावहारिक हो, बल्कि पर्यावरण की दृष्टि से भी टिकाऊ हो।

– देविन्दर शर्मा

हरित क्रांति, जिसे इंदिरा गांधी ने शुरू किया था। पहले दूध और उसके ठीक बाद खाद्यान्न। वास्तव में दो वर्ष के अंतराल में यानी 1965–66 में भारत के इतिहास में दो बड़ी क्रांतियों का सूत्रपात हुआ।

सन् 1965 में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दूध की सहकारी समितियों की नींव रखी, जिससे किसानों को दूध की ज्यादा कीमत मिल सके, साथ ही शहरी उपभोक्ताओं को किफायती दाम पर दूध की आसान उपलब्धता हो सके। दुनिया के एक सबसे सफल ग्रामीण विकास कार्यक्रम के रूप में सराही गई डेयरी सहकारी समितियों ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना दिया।

हर गुजरते साल के साथ, किसान परिवार की हालत बदतर होती जा रही है। आर्थिक सर्वेक्षण 2016 हमें बताता है कि भारत के एक किसान परिवार की औसत आय सिर्फ 20,000 रूपये प्रति वर्ष है। यानि 1,700 रूपये प्रति माह से कम है। यह तो एक गाय पालने के लिए भी नाकाफी है।

डेयरी उत्पाद से मिली थी बड़ी राहत

यह कहा जाता है कि दूध उत्पादन से किसानों को खेती में होने वाले नुकसान की भरपाई करने में मदद मिली है। आमतौर पर यह माना जाता है कि जो किसान आत्महत्या करने से बच गए, ये वास्तव में वे हैं, जिनके पास सहायक के रूप में छोटी डेयरी है। दरअसल, ऑपरेशन फ्लड ने 15 करोड़ से ज्यादा डेयरी किसानों को लाभान्वित किया है। इनमें से ज्यादातर लाभार्थी महिलाएं हैं।

हरित क्रांति का गहरा असर

एक साल बाद वष 1966 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मैक्सिको से 18,000 टन चमत्कारी उच्च उपज वाली बौनी किस्म के गेहूं के आयात को अनुमति देकर प्रसिद्ध हरित क्रांति की शुरूआत की।

कृषि वैज्ञानिकों ने आयातित बीज को भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल बनाने में मदद की। इस बदम ने आने वाले वर्षों में गेहूं उत्पादन में लंबी छलांग की नींव प्रदान की।

गेहूं के मामले में हासिल कामयाबी के बाद चावल, कपास, गन्ना, सब्जियों और फलों के उत्पादन में भी तेजी आई। खाद्य आत्मनिर्भरता राष्ट्रीय संप्रभुता की नींव बन गई। यह एक ऐसा तथ्य है, जिसे अक्सर स्वीकार नहीं किया जाता।

निःसंदेह हरित क्रांति ने पुरानी खाद्य कमियों वाली स्थिति को खत्म कर दिया। बीते वर्षों में निरंतर इतना विकास हुआ कि लगातार कुछ सालों के गंभीर सूखे का भी बहुत असर नहीं हो पाया। कृषि की जो ताकत हासिल हुई है, उसे इस बात से आंकना होगा कि उसने आपदाओं के समय उनका सामना कैसे किया। किसानों ने 75 वर्षों से बंपर फसल पैदा करने के लिए कड़ी मेहनत की है। साल दर साल नए कीर्तिमान रचे जा रहे हैं।

कृषि उत्पादन लगातार ऊंचाईयों की तरफ बढ़ता जा रहा है। वर्ष 2022–23 में लगभग 31.5 करोड़ टन के खाद्य उत्पादन और 32.5 करोड़ टन फलों और सब्जियों के उत्पादन का अनुमान लगाया गया था। इसके बावजूद देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा लगातार घट रहा है।

कृषि संकट को समझना जरूरी

हर गुजरते साल के साथ, किसान परिवार की हालत बदतर होती जा रही है। आर्थिक सर्वेक्षण 2016 हमें बताता है कि भारत के एक किसान परिवार की औसत आय सिर्फ 20,000 रूपये प्रति वर्ष है। यानि 1,700 रूपये प्रति माह से कम है। यह तो एक गाय पालने के लिए भी नाकाफी है।

यह सवाल सहज और काफी गंभीर है कि ये परिवार आखिर कैसे जीवित रहते हैं। ओईसीडी–आईसीआरआईईआर के एक अन्य अध्ययन ने गणना की थी कि भारतीय किसानों को वर्ष 2000 और 2016–17 के बीच 45 लाख करोड़ रूपये का नुकसान हुआ। यह कृषि क्षेत्र में व्याप्त एक असाधारण संकट का स्पष्ट संकेत है। बाद में, नीति आयोजग के अध्ययनों से पता चला है कि 2015–16 और 2018–19 के बाद वास्तविक कृषि आय में वृद्धि लगभग शून्य के करीब रही है।

वैसे तो प्रमुख आर्थिक सोच बाजारों को खोलना है, ताकि कृषि को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके, लेकिन इसके बजाय किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को किसानों का कानूनी अधिकार बनाने की मांग कर रहे हैं। संक्षेप में ये जो मांग कर रहे हैं, वह उन्हें एक गारंटीशुदा आय प्रदान करने के लिए एक तंत्र है।

एक सदाबहार क्रांति का लक्ष्य भी एक खुशहाल किसान है, जिसे कर्ज और आत्म हत्या के चक्रव्यूह से बाहर निकाला जाना है। आईये, हम अतीत की प्रभावशाली उपलब्धियों पर नवनिर्माण करें और एक ऐसी कृषि व्यवस्था तैयार करें, जो न केवल आर्थिक रूप से व्यावहारिक हो, बल्कि पर्यावरण की दृष्टि से भी टिकाऊ हो। ❑❑

स्रोतः दैनिक हिन्दुस्तान

राजनीति के मकड़जाल में नदी जल विवाद

जल आवंटन से असंतुष्ट तथा निरंतर जल की अधिक मांग कर रहे पंजाब ने अकस्मात सन 2004 में पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पास कर पिछले सभी अंतरराज्यीय नदी जल समझौतों को निरस्त कर दिया, और पूर्ववर्ती समझौतों से अपने आपको पूरी तरह अलग कर लिया।

– डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्र

विभिन्न राज्यों के अपने–अपने हित एवं वहां के राजनीतिक दलों की सोच एवं स्वार्थ के चलते विद्यमान नदी जल विवादों के कारण नदियों को जोड़ने की योजना मूर्त रूप नहीं ले पा रही है। उत्तर से दक्षिण तक समस्त राज्यों के मध्य उन से होकर गुजरने वाली नदियों के जल की हिस्सेदारी को लेकर निरंतर विवाद बना हुआ है और कोई भी राज्य अपनी मांग से हटने के लिए तैयार नहीं है।

वर्तमान में देश में विभिन्न राज्यों के मध्य नदियों के जल में उनकी हिस्सेदारी को लेकर अनेक जल विवाद विद्यमान हैं, जिनमें से कावेरी के जल को लेकर कर्नाटक एवं तमिलनाडु के मध्य विद्यमान कावेरी जल् विवाद, कर्नाटक महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश के मध्य कृष्णानदी के जल बंटवारे को लेकर कृष्णा जल विवाद,रावी एवं व्यास के जल के बंटवारे को लेकर हरियाणा एवं पंजाब के मध्य विद्यमान रावी व्यास नदी जल विवाद तथा महानदी के जल को लेकर कर्नाटक महाराष्ट्र और गोवा के बीच विद्यमान महादयी जल विवाद प्रमुख रूप से वर्तमान में देश के समक्ष समस्या बने हुए हैं। कर्नाटक एवं तमिलनाडु के मध्य कावेरी जल विवाद नया नहीं है यह स्वतंत्रता पूर्व से चला रहा है और इसके निदान हेतु स्वतंत्रता के पूर्व 1892 एवं 1924 में अंग्रेज सरकार के प्रयासों से तत्कालीन मैसूर एवं मद्रास रेजीडेंसी के मध्य समझौते हुए थे। कर्नाटक का मानना है कि तमिलनाडु को अत्यधिक पानी दे दिए जाने के कारण उसके यहां फसल की सिंचाई भली–भांति नहीं हो पाती जिससे अपेक्षित फसलों का उत्पादन नहीं हो पाता वही तमिलनाडु का कहना है कि कर्नाटक द्वारा पर्याप्त मात्रा में समय से पानी न दिए जाने के कारण फसलों को पर्याप्त जल प्राप्त नहीं हो पाता।

तमिलनाडु ने 1986 में केंद्र सरकार से नदी जल अधिनियम के अंतर्गत एक पंचाट बनाकर कावेरी नदी के जल आवंटन को सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया था, जिसके क्रम में केंद्र सरकार ने नदी जल पंचाट अधिनियम 1956 के अंतर्गत 1990 में एक पंचाट का गठन किया था जिसके द्वारा 17 वर्षो बाद अपना आदेश पारित किया गया जिसे इस निर्णय के 6 वर्ष बाद 2013 में अधिसूचित किया गया। इस आदेश में तत्काल तमिलनाडु के लिए 12000 क्यूसेक फिट जल तत्काल छोड़ने का निर्देश दिया गया था जिसके विरोध में कर्नाटक में उग्र विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे।

कर्नाटक का मानना है कि कावेरी नदी का अधिकांश भाग कर्नाटक राज्य में है तथा कर्नाटक में बने कृष्णा राजा सागर बांध में पानी एकत्र किया जाता है, अतः उसके अधिकांश जल में कर्नाटक का हक है वहीं दूसरी ओर तमिलनाडु का कहना है कि तमिलनाडु के अंतर्गत कावेरी नदी का 54 प्रतिशत बेसिन एरिया फैला हुआ है, जबकि कर्नाटक में मात्र 42 प्रतिशत बेसिन क्षेत्र है। तमिलनाडु के विशाल बेसिन क्षेत्रफल को देखते हुए उसके अनुरूप उसे कावेरी के जल का पर्याप्त हिस्सा मिलना चाहिए। कर्नाटक इसके लिए तैयार नहीं है और उसके द्वारा पंचाट के निर्णय के विरुद्ध अपील किए जाने के कारण परिवाद का निस्तारण अभी तक नहीं हो सका है। राज्य द्वारा पंचाट के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, जिसमें वर्ष 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय पारित करते हुए कर्नाटक को 284.75 मिलियन क्यूबिक फिट तमिलनाडु को 404.25 मिलियन क्यूबिक फिट केरल को 30 मिलियन क्यूबिक फीट तथा पांडुचेरी को 7 मिलियन क्यूबिक फीट जल देने का आदेश दिया

गया। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को कावेरी प्रबंधन योजना को अधिसूचित करने का भी निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने जून 2018 में कावेरी जल प्रबंधन योजना अधिसूचित की, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार ने निर्णय को प्रभावी करने के लिए कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण और कावेरी जल विनियमन समिति का गठन किया है।

कृष्णा नदी के जल बंटवारे को लेकर ब्रिटिश काल में तत्कालीन हैदराबाद एवं एवं मैसूर राज्य के मध्य विवाद हुआ था। बाद में राज्यों के पुनर्गठन के बाद यह विवाद महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच जारी रहा, जो अब तेलंगाना राज्य के बन जाने के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों के मध्य विद्यमान है।

महाराष्ट्र कर्नाटक एवं प्रदेश आंध्र प्रदेश के मध्य कृष्णा जल विवाद को देखते हुए सर्वप्रथम सन 1969 में कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया था जिसके द्वारा 1973 में प्रस्तुत रिपोर्ट को 1976 में प्रकाशित किया गया था जिसके अनुसार सुषमा नदी के 2060 हजार मिलियन घन फीट जल में से महाराष्ट्र के लिए 560 हजार हजार मिलियन घन फिट कर्नाटक के लिए 780 हजार मिलियन घन फिट और आंध्र प्रदेश के लिए 800 हजार मिलियन घन फिट पानी आवंटित किया गया था। वर्ष 2014 में तेलंगाना के निर्माण के पश्चात जल विवाद न्यायाधिकरण द्वारा आंध्र प्रदेश के इससे में से तेलंगाना को जल आवंटित कर दिए जाने पर उसे न्यायालय में चुनौती दी गई तथा अनुरोध किया गया की तेलंगाना को एक पक्ष के रूप में मान्यता देते हुए कृष्णा नदी के जल को तीन राज्यों के बजाए चार राज्यों में बांटा जाए, जबकि महाराष्ट्र एवं कर्नाटक आंध्र प्रदेश की इस मांग का विरोध करते हुए कह रहे हैं कि तेलंगाना को आंध्र प्रदेश के हिस्से से ही जल आवंटित किया जाना चाहिए जिसे न्यायाधिकरण ने मंजूरी दी थी जिस पर पुनर्विचार नहीं होना चाहिए। परिणामस्वरूप कृष्णा नदी जल विवाद अब आंध्र एवं तेलंगाना के मध्य विवाद का विषय बना हुआ है और उसका निस्तारण अभी तक नहीं हो सका है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही राजस्थान एवं पंजाब के मध्य रावी व्यास नदी के जल के वितरण को लेकर विवाद बना हुआ है, जिसके दृष्टिगत सन 1955 में भारत सरकार ने रावी व्यास नदियों में विद्यमान बंटवारे योग्य पानी का आकलन कराकर उसे पंजाब एवं राजस्थान राज्य के मध्य आवंटित करने का समझौता कराया था। इस आकलन में इन दोनों नदियों में 15.85 मिलीयन एकड़ फीट पानी पाया गया था जिसे समझौते में 7.2 एकड़ फीट पानी पंजाब को तथा 8 मिलियन एकड़ फीट पानी राजस्थान को आवंटित किया गया था।

भाषा के आधार पंजाब राज्य का पुनर्गठन कर उसे पंजाब और हरियाणा में विभाजित करने पर सन 1955 के समझौते के अनुसार पंजाब को मिले 7.2 मिलियन एकड़ फीट पानी को पंजाब और हरियाणा के मध्य विभाजित कर दिया गया जिसमें हरियाणा एवं पंजाब को 3.5–3.5 मिलियन एकड़ फीट पानी तथा दिल्ली को 0.2 एकड़ फीट पानी दिया गया। जिससे असंतुष्ट होकर पंजाब ने उच्चतमन् न्यायालय में चुनौती दी तथा हरियाणा ने समझौते को लागू करने के लिए उच्चतम न्यायालय में अपनी याचिका योजित की, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार द्वारा दोनों राज्यों के मध्य वितरित किए जाने वाले पानी की मात्रा का पुनः आकलन किया गया और हरियाणा तथा पंजाब दोनों राज्यों के मध्य पुनः समझौता हुआ जिसके अंतर्गत पंजाब राज्य को 4.22 मिलियन एकड़ फीट पानी और और हरियाणा को 3.5 मिलियन एकड़ फीट पानी आवंटित किया गया। समझौते के बाद उच्चतम न्यायालय से पंजाब एवं हरियाणा दोनों राज्यों के द्वारा अपने अपने वाद वापस ले लिए गए किंतु पानी के बंटवारे को लेकर दोनों राज्यों के मध्य असहमति बनी रही, जिसके परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार द्वारा सन 1985 में रावी व्यास ट्रिब्यूनल ईराडी आयोग का गठन किया गया। ट्रिब्यूनल ने दोनों पक्षों के तथ्यों एवं तर्कों को सुनकर सन 1987 में आदेश पारित करते हुए पंजाब को 5 मिलियन एकड़ फीट पानी तथा हरियाणा को 3.83 मिलियन एकल फिट पानी आवंटित किया। जबकि हरियाणा 5.6 मिलीयन एकड़ फिट पानी की मांग कर रहा था। जल आवंटन से असंतुष्ट तथा निरंतर जल की अधिक मांग कर रहे पंजाब ने अकस्मात सन 2004 में पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पास कर पिछले सभी अंतरराज्यीय नदी जल समझौतों को निरस्त कर दिया, और पूर्ववर्ती समझौतों से अपने आप को पूरी तरह अलग कर लिया, जिसके दृष्टिगत केंद्र सरकार द्वारा उक्त विवाद को पुनः उच्चतम न्यायालय के समक्ष निस्तारण हेतु प्रस्तुत किया गया है, किंतु अभी तक यह विवाद हल नहीं हो सका है।

आज देश के समक्ष अनेकानेक राज्यों के मध्य विद्यमान नदी जल विवाद विचाराधीन हैं। केंद्र सरकार भी लगभग उन्हीं स्थितियों में कार्य करती है और वह भी स्थानीय स्तर पर वोट की राजनीति का शिकार होकर ऐसे विवादों के स्थाई निराकरण से दूर भागती है जिससे राष्ट्रीय हित बाधित होते हैं। ऐसी स्थिति में राज्य एवं केंद्र सरकार दोनों का ही यह दायित्व बनता है कि वह अपने व्यक्तिगत हितों का परित्याग कर देश की जल शक्ति का राष्ट्र के हित में उपयोग सुनिश्चित करें। ❑❑

आजादी का अमृत महोत्सव

उत्तर पूर्व भारत के गुमनाम शहीद (भाग–1)

आजादी का अमृत महोत्सव एक पावन अवसर है, हम उन सभी गुमनाम स्वतंत्रता सैनानियों को याद करें जिन्होंने देश की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, और सिक्किम जैसे राज्यों के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है जबकि उनके विद्रोह ने अंग्रेजों की कमर ही तोड़कर रख दी थी। जो जानकारी उपलब्ध हुई है, उसके आधार पर संक्षेप में उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने का प्रयास **स्वदेशी पत्रिका** ने किया है।

1. श्री मनिराम देवान

मनिराम दत्त बरुआ (17 अप्रैल, 1806 – 26 फरवरी, 1858), असम के एक सामंत थे जिन्हें 1857 के प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम में अंग्रेजो ने फाँसी दे दी। उन्होंने असम में पहला चाय बगान स्थापित किया था। वे मनिराम देवान के नाम से अधिक प्रसिद्ध हैं। यह वर्ष 1857 का दौर था, भारत में अंग्रेजों के खिलाफ सिपाही क्रांति प्रारम्भ हो चुकी थी। इसी क्रांति ने मनिराम को प्रेरणा और शक्ति दिए। इसके बाद उन्होंने उत्तर–पूर्व में अंग्रेज़ी शासन के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। उन्होंने अहोम के राजाओं और सैनिकों के साथ मिलकर अंग्रेजों से बदला लेने की तैयारी कर ली। मनिराम ने अहोम जनजाति के सभी मुखिया से वादा किया कि वे अगर उनकी संपत्ति वापस दिलाने में उनकी मदद करेंगे और अग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ेंगे तो उन्हें आर्थिक लाभ मिलेगा। सभी तैयारियां हो चुकी थीं लेकिन इसी बीच अंग्रेज़ी शासन को मनिराम के मनसूबों की भनक लग गई। इसी के साथ मनिराम को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और 26 फरवरी 1858 को उन्हें फांसी दे दी गयी।

भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, और सिक्किम जैसे राज्यों के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है जबकि उनके विद्रोह ने अंग्रेजों की कमर ही तोड़कर रख दी थी।

–**विनोद जौहरी**

2. श्री यू कियांग नंगबाह

यू कियांग नंगबाह का जन्म जोवाई के तपेप्पले में का रिमाई नंगबाह के घर हुआ था। वह मेघालय के एक मात्र ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको 30 दिसंबर 1862 को पश्चिम जयंतिया हिल्स जिले में गॉलवे शहर में इवामुसियांग में सार्वजनिक रूप से ब्रिटिश सरकार ने फांसी पर लटका दिया था। वर्ष 2001 में, भारत सरकार ने उनके पुण्यस्मरण में डाक टिकट जारी किया गया था। वह एक शांतिपूर्ण किसान थे, जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्रेरित हुए। जब उन्होंने देखा कि अंग्रेजों ने अपने साथी लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया, अनुचित कराधान लगाया और उनकी धार्मिक परंपराओं को बाधित किया। उनको जयंतिया प्रतिरोध का नेता

चुना गया और उन्होंने अंग्रेजों पर हमलों का नेतृत्व किया। वह सब जयंतिया पहाड़ियों में फैल गए। अंग्रेजों द्वारा विद्रोह को कुचलने के लिए अतिरिक्त सेना को बुलाना पड़ा। अंत में, नंगबाह को उनकी एक टीम ने धोखा दिया और अंग्रेजों ने उनको कब्जे में ले लिया। उन्हें 30 दिसंबर 1862 को पश्चिम जयंतिया हिल्स जिले के जोवाई शहर के इवामुसियांग में फांसी दी गई थी। फाँसी पर खड़े होकर, उनके अंतिम शब्द कहे गए थेः "यदि मेरा चेहरा पूर्व की ओर मुड़ता है तो मेरी मातृभूमि विदेशी जुए से सौ साल बाद मुक्त हो जाएगी।" इस वीर योद्धा के सम्मान में वर्ष 1967 में जोवाई में एक सरकारी कॉलेज भी खोला गया था। 2001 में भारत सरकार द्वारा उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया गया था।

3. श्री ताजी मिडरें और पोंज डेले

पूर्वी अरुणाचल प्रदेश के निचले दिबांग घाटी जिले के 25 परिवारों के एक गांव एलोप में पोंज डेले और ताजी डेले की वीर गाथाएँ प्रसिद्ध हैं। पोंज डेले और ताजी डेले ने तीन बेबेजिया मिश्मी अभियानों – 1900, 1914 और 1919 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। दिसंबर 1917 में ताजी को अंग्रेजों ने पकड़ लिया और उसके बाद असम के तेजपुर ले जाया गया, जहां 1918 में उनको गिरफ्तार कर तेजपुर जेल में फाँसी पर लटका दिया गया था, जबकि 1919 में अंतिम अभियान में पोंगे की मृत्यु हो गई थी। इडु मिश्मी जनजाति के बसे हुए गांव वाले आज भी याद करते हैं कि डेढ़ सौ साल से भी पहले इसके दो निवासियों ने अंग्रेजों से बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी।

4. श्री कुशल कोंवार

श्री कुशल कोंवर का जन्म 21 मार्च 1905 में हुआ था। कुशल जी का जन्म असम के गोलाघाट जिले में हुआ

था। वह एक शाही परिवार से थे। अहोम साम्राज्य के शाही परिवार से होने पर उनको कोंवार कुल नाम दिया गया। जिसे बाद में उन्होंने छोड़ भी दिया था। कुशल जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बेजबरुआ स्कूल से हासिल की। अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बाद कुशल जी ने 1918 में गोलाघाट के गवर्नमेंट हाई स्कूल में आगे की शिक्षा प्राप्त की। 1919 में जब ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया, उस दौरान कुशल केवल 17 वर्ष के थे। इसका प्रभाव जलियांवाला बाग तक ही सीमित नहीं था। इसका असर पूरे भारत में देखने को मिला था। इस हत्याकांड के विरोध में असहयोग आन्दोलन की शुरूआत हुई और इस आन्दोलन का प्रभाव असम तक पहुंचा और कुशल और अन्य युवा सेनानी इस आन्दोलन में सक्रिय रूप से उतरे। 10 अक्टूबर 1942 में स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले कार्यक्रताओं ने सरूपथर की रेलवे की पटरी से स्लीपरों हटा दिए थे जिसकी वजह से वहां से गुजरने वाली सैन्य रेल गाड़ी पटरी से उतर गई। जिसमें हजारों की तादाद में अंग्रेजी सैनिक मारे गए। पुलिस ने इलाके को तुरंत घेर लिया और इस घटना को अंजाम देने वालों को ढूंढना शुरू किया। इस घटना के लिए कुशल को आरोपी माना गया था। जबकी इस घटना में उनका कोई हाथ नहीं था। लेकिन फिर भी कुशल को रेलवे की तोड़फोड़ का मुख्य आरोपी माना गया और उनको इसके लिए गिरफ्तार किया गया। 5 नवंबर 1942 में उन्हें गोलाघाट लाया गया और वहां की जोरहाट जेल में बंद कर दिया गया। जेल में जब उनकी पत्नी प्रभावती उनसे मिलने गई तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि उन्हें गर्व है कि भगवान ने देश के लिए सर्वोच्चय बलिदान के लिए हजारों लोगों में से उन्हें चुना। फांसी से पहले जेल में बचे उनके शेष समय के दौरान उन्होंने अपना समय गीता पढ़कर बिताया। कुशल ने लगभग 112 दिन जेल में बिताए। 15 जून 1943 को शाम 4:30 बजे कुशल कोंवर को फांसी दी गई।

5. श्री शूरवीर पसल्था

शूरवीर पसल्था खुआंग चेरा मिज़ो के पहले स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद से लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। 1890 में ब्रिटिश सैनिकों को आगे बढ़ाने का विरोध करने की कोशिश करते हुए उन्हें मार दिया गया था। ऐज़ोल के पास चांगसिल में हुई गोलीबारी में खुआंगचेरा के साथ एक अन्य मिजो योद्धा, न्गुरबांग की मौत हो गई थी। आजादी की लड़ाई में मातृशक्ति जिन्होंने उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष किया – बुकी, लल्हलुपुई, रोथंगपुई, वन्नुईथांगी, लल्थेरी, दरबिली, नेहपुईथांगी, पाविबाविया नु, दारी, थांगपुई, पकुमा रानी और ज़वलचुआई जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं है।

6. सुश्री भोगेश्वरी फुकनानी

भोगेश्वरी देवी फुकन (1872–1942) भारत की एक क्रांतिकारी महिला थीं जिन्होंने 1942 ई. के भारत छोड़ो आन्दोलन के समय 70 वर्ष की वृद्धावस्था में असम में नौगाँव जिले के बेहरामपुर कस्बे में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया। फुकनानी का जन्म वर्ष 1885 में असम के नागांव जिले के बरहामपुर में हुआ था। नागांव

20वीं सदी में राष्ट्रवादी गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। फुकनानी, एक साधारण गृहिणी, एक पत्नी और आठ बच्चों की मां थी। जिन्हें राष्ट्रवाद के लिए दृढ़ विश्वास था। भोगेश्वरी फुकनानी ने अपने बच्चों को भारत की आजादी के आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया था। 1942 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान करने का फैसला किया, तब वह साठ साल की थीं। यह आंदोलन असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों से अलग था। भोगेश्वरी फुकनानी ने अंग्रेजों के खिलाफ लोगों का नेतृत्व किया था। एक अंग्रेजी कप्तान ने रतनमाला के हाथों से राष्ट्रीय ध्वज छीनकर उसका अनादर किया था, जिसके बाद फुकानानी ने उस कप्तान को उसी ध्वज–पोल से मारा था। मार खाने के बाद कप्तान से वो अपमान सहन नहीं किया गया जिसके बाद उसने फुकनानी को गोली मार दी। गोली लगने के बाद फुकानानी ने अपना दम तोड़ दिया लेकिन अपने पीछे बहादुरी और देशभक्ति की विरासत छोड़ गई।

7. श्री मातमोर जमोह

वह एक क्रांतिकारी नेता थे जो ब्रिटिश वर्चस्व के विरुद्ध थे। इसलिए उन्होंने उन ब्रिटिश अधिकारियों को मारना शुरू कर दिया, जो लोगों के जीवन में हस्तक्षेप करते थे। सियांग नदी के बाएं किनारे पर सुंदर और शांत कोम्सिंग गांव स्थित है जहां मातमोर जामोह ने

31 मार्च, 1911 अंग्रेज़ अफसर नोएल विलियमसन की हत्या कर दी, जब वह राजा एडवर्ड सप्तम की मृत्यु का संदेश आदिवासी प्रमुखों तक पहुंचा रहा था। उनके एक अनुयायी ने अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले में पांगी में एक डॉ ग्रेगरसन की हत्या कर दी। सेलुलर जेल में जहां उन्हें आत्मसमर्पण करने के बाद भेजा गया था, उनकी मृत्यु हो गई।

क्रमशः.....(अगले अंक में)

विनोद जौहरीः सेवानिवृत्त अपर आयकर आयुक्त

:: सदस्यता संबंधी सूचना ::

अधिक जानकारी के लिए देखें : **http:// swadeshionline.in/**

मान्यवर,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीध्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि ''स्वदेशी पत्रिका'' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है :–

स्वदेशी पत्रिका	*वार्षिक*	*आजीवन*
हिन्दी	150 रुपए	1500/– रुपए
अंग्रेजी	150 रुपए	1500/– रुपए

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. **602510110002740, IFSC : BKID- 0006025 (Ramakrishnapuram)** में जमा करवा सकते हैं और उसकी रसीद और अपना पता आप कार्यालय में अवश्य भेजे।

स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22

नवाचार और लीक से हटकर सिखाने की प्रेरणा है 'शिक्षक'

पांच सितंबर यानि शिक्षक दिवस। हममें से कोई भी ऐसा नहीं, जिसके जीवन में इस शब्द का महत्व न हो। हम आज जो कुछ भी है या हमने जो कुछ भी सीखा या जाना है उसके पीछे किसी न किसी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहयोग व उसे सिखाने की भूमिका रही है। इसलिए आज का दिन प्रत्येक उस व्यक्तित्व के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का व उन सीखे हुए मूल्यों के आधार पर खुशहाल समाज निर्माण में अपनी भूमिका तय करने का दिन भी है। शिक्षक यानि गुरु शब्द का तो अर्थ ही अंधकार (अज्ञान) से प्रकाश (ज्ञान) की ओर ले जाने वाला है। भारत में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का श्री गणेश भी हो चुका है। पूरी शिक्षा नीति को देखने पर ध्यान आता है कि उसके क्रियान्वयन व सफ़ल तरीके से उसे मूर्त रुप देने का अगर सीधा–सीधा किसी का नैतिक दायित्व बनता है तो वह शिक्षक का ही है। वर्तमान के आधार को मजबूत करते हुए, भविष्य के आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को चरितार्थ करने व भारत को आगे बढ़ाने के सपनों को अपनी आँखों में भर कर निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा व भाव जागरण का आधार भी शिक्षक है। चाहे पुरातन काल की गुरुकुल परंपरा हो या आजकल की शिक्षा व्यवस्था, शिक्षक के नवाचार और लीक से हटकर सिखाने की संकल्पशक्ति मानव के जीवन को बेहतर बनाने में हमेशा मदद करती है।

जीवन का दायित्वबोध है शिक्षकः शिक्षक जो जीवन के व्यावहारिक विषयों को बोल कर नहीं बल्कि स्वयं के उदाहरण से वैसा करके सिखाता है। शिक्षक जो बनना नहीं गढ़ना सिखाता है। शिक्षक जो केवल शिक्षा नहीं बल्कि विद्या सिखाता है। शिक्षक केवल सफ़ल होना नहीं, असफ़लता से भी रास्ता निकाल लेना सिखाता है। शिक्षक जो तर्क व कुतर्क के अंतर को समझाता है। शिक्षक जो केवल चलना नहीं, गिरकर उठना भी सिखाता है। शिक्षक जो भविष्य की चुनौतीयों के लिए तैयार होना सिखाता है। शिक्षक जिसे समाज संस्कार, नम्रता, सहानुभूति व समानुभूति की चलती फिरती पाठशाला मानता है। कहा जाता है कि एक शिक्षक का दिमाग सबसे बेहतर होता है। एक बार सर्वपल्ली राधाकृष्णन के कुछ छात्रों

शिक्षक के नाते अब हमें शिक्षा को क्लास रूम से बाहर ले जाने की पहल करनी होगी यानि उसकी व्यावहारिकता पर ज्यादा ध्यान देना होगा।
– डॉ. पवन सिंह

और दोस्तों ने उनका जन्मदिवस मनाने की इच्छा ज़ाहिर की। इसके जवाब में डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा कि मेरा जन्मदिन अलग से मनाने की बजाय इसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो मुझे बहुत गर्व होगा। इसके बाद से ही पूरे भारत में 5 सितंबर का दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन इस महान शिक्षाविद को हम सब याद करते हैं।

एक नज़र डॉ. राधाकृष्णन सर्वपल्लीः डॉ. राधाकृष्णन ने 12 साल की उम्र में ही बाइबिल और स्वामी विवेकानंद के दर्शन का अध्ययन कर लिया था। उन्होंने दर्शन शास्त्र से एम. ए. किया और 1916 में मद्रास रेजीडेंसी कॉलेज में सहायक अध्यापक के तौर पर उनकी नियुक्ति हुई। उन्होंने 40 वर्षो तक शिक्षक के रूप में काम किया। वह 1931 से 1936 तक आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। इसके बाद 1936 से 1952 तक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर रहे और 1939 से 1948 तक वह काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर आसीन रहे। उन्होंने भारतीय संस्कृति का गहन अध्ययन किया। साल 1952 में उन्हें भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति बनाया गया और भारत के द्वितीय राष्ट्रपति बनने से पहले 1953 से 1962 तक वह दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। इसी बीच 1954 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें 'भारत रत्न' की उपाधि से सम्मानित किया। डॉ. राधाकृष्णन को ब्रिटिश शासनकाल में 'सर' की उपाधि भी दी गई थी। इसके अलावा 1961 में इन्हें जर्मनी के पुस्तक प्रकाशन द्वारा 'विश्व शांति पुरस्कार' से भी सम्मानित किया गया था। अतः हम कह सकते है कि वे जीवनभर अपने आप को शिक्षक मानते रहे और उन्होंने अपना जन्मदिवस भी इसी परिपाटी का पालन करने वाले शिक्षकों के लिए समर्पित कर दिया।

> **डॉ. राधाकृष्णन अक्सर कहा करते थे, शिक्षा का मतलब सिर्फ जानकारी देना ही नहीं है। जानकारी का अपना महत्व है लेकिन बौद्धिक झुकाव और लोकतांत्रिक भावना का भी महत्व है, क्योंकि इन भावनाओं के साथ छात्र उत्तरदायी नागरिक बनते हैं।**

शिक्षा को मिशन का रूप देना होगाः डॉ. राधाकृष्णन अक्सर कहा करते थे, शिक्षा का मतलब सिर्फ जानकारी देना ही नहीं है। जानकारी का अपना महत्व है लेकिन बौद्धिक झुकाव और लोकतांत्रिक भावना का भी महत्व है, क्योंकि इन भावनाओं के साथ छात्र उत्तरदायी नागरिक बनते हैं। वे मानते थे कि जब तक शिक्षक शिक्षा के प्रति समर्पित और प्रतिबद्ध नहीं होगा, तब तक शिक्षा को मिशन का रूप नहीं मिल पाएगा। आज शिक्षा को मिशन बनाना होगा। शिक्षा की पहुँच इस देश के अंतिम घर के अंतिम व्यक्ति तक होनी चाहिए। इसके लिए केवल शिक्षकों को ही नहीं समाज को भी अपनी भूमिका निभानी होगी। प्रत्येक वो व्यक्ति जो अपने आपको शिक्षा देने में सक्षम समझता है उसे आगे आना होगा। अपने यहाँ अधिक से अधिक मोहल्ले एवं ग्रामीण शिक्षा केंद्र संचालित करने की चुनौती को उसे स्वीकार करना होगा। ताकि समाज का कोई भी वर्ग या स्थान शिक्षा से वंचित न रहे। उसे प्रतिदिन या सप्ताह में कुछ समय शिक्षा जैसे पुनीत कार्य के लिए लगाना होगा। इस कार्य के लिए उसे अपने जैसे बहुत से लोगों को खड़ा करना होगा व इस अभियान में सहयोगी बनने के लिए उनका भाव जागृत करना होगा।

शिक्षा स्व–रोज़गार के लिएः शिक्षक के नाते अब हमें शिक्षा को क्लास रूम से बाहर ले जाने की पहल करनी होगी यानि उसकी व्यावहारिकता पर ज्यादा ध्यान देना होगा। विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास को अपनी प्राथमिकता में लाना होगा। ताकि विद्यार्थी का कौशल उसके जीवन का हिस्सा बन सके और आगे उसे रोज़गार से जोड़ा जा सके। शिक्षा को औपचारिक शिक्षा के साथ–साथ अनौपचारिक शिक्षा बनाने की ओर भी अब हमें अपने प्रयासों को अधिक गति से बढ़ाने की आवश्यकता है। कोविड ने हमें आज इस विषय की ओर देखने की दृष्टि भी दी है ताकि भविष्य में किसी विकट परिस्थिति व आर्थिक संकट के समय स्व–रोज़गार के आधार पर हम आत्मनिर्भरता की भावना के साथ उस परिस्थिति का सामना कर सके।

सच्ची अभिव्यक्ति व प्रेरक शक्ति का दिनः तो आईये, आज शिक्षक दिवस के दिन इन सभी बातों का पुनः स्मरण कर, अपने हौंसलों की उड़ान को ओर बढ़ाते है। शिक्षक के दायित्वबोध को और अधिक संकल्प के साथ निभाते है। डॉ. राधाकृष्णन सर्वपल्ली के जीवन के विभिन्न प्रेरक पहलुओं से सीख ले, प्रत्येक व्यक्ति तक शिक्षा को ले जाने के अपने प्रयास को गति देते है। मैं से प्रारंभ कर इस शिक्षा रुपी अलख को लाखों–लाखों का सपना बनाते हैं। वास्तव में शिक्षक होने के नाते आज शिक्षक दिवस के दिन डॉ. राधाकृष्णन सर्वपल्ली के प्रति व अपने आदर्श प्रेरणादायी शिक्षकों के प्रति यही हमारी सच्ची अभिव्यक्ति व प्रेरक शक्ति होगी। ❑❑

(लेखक मीडिया विभाग, जे. सी. बोस विश्वविद्यालय, फरीदाबाद में एसोसिएट प्रोफेसर है)

फ्री-बी संस्कृति के खिलाफ स्वदेशी का शंखनाद

कल्याण और छूट में अंतर है। कल्याण जहां एक विकासवादी धारणा है, वहीं छूट मुफ्त की रेवड़ी है। बिना जांच परख के कल्याण के नाम पर रेवड़ी बांटना देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करना तो है ही, देश के आम शहरी की आकांक्षाओं पर भी कुठाराघात है।

उक्त बातें स्वदेशी जागरण मंच राष्ट्रीय सहसंयोजक डॉ. अश्वनी महाजन ने गत दिनों स्वदेशी जागरण मंच के केंद्रीय कार्यालय पर फ्रीबी संस्कृति को लेकर आयोजित संगोष्ठी के दौरान कही। डॉ. महाजन ने कहा कि देश में बुनियादी ढ़ांचे के निरंतर विकास के लिए यह जरूरी है कि राजनीति चमकाने के लिए राजनैतिक दलों द्वारा बांटी जा रही मुफ्त की रेवड़ी पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाये जायें। डॉ. महाजन ने कहा कि मंच ने इस विषय को अत्यंत गंभीरता के साथ लिया है और आने वाले दिनों में मंच के कार्यकर्ता फ्रीबी के खिलाफ देश भर में जागरूकता अभियान चलायेंगे।

फ्रीबी को लेकर चौकन्ने इंडिया टूडे के पत्रकार अनिलेश महाजन ने आंकड़ों सहित फ्रीबी से होने वाले नुकसान के प्रति सचेत किया और कहा कि सभी राज्य सरकारों को इसे रोके जाने हेतु दबाव बनाना चाहिए। संगोष्ठी में गोविन्द त्रिपाठी, डॉ. फूलचंद, आलोक सिंह, विनोद कुमार, प्रिया, श्वेता, राकेश, सचिन, विनीत मोरे, प्रशांत गुप्त, शशि रावत, अनिल तिवारी, युवराज सिंह आदि ने हिस्सा लिया तथा इस मुद्दे को जन–जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया।

स्थानीय स्तर पर स्व–रोजगार सृजन केंद्र शुरु करेगा मंच

स्वदेशी जागरण मंच स्वावलंबी भारत अभियान के अंतर्गत देशभर में स्थानीय स्तर पर स्व–रोजगार सृजन केंद्र शुरू करेगा, जिसमें युवाओं को रोजगार का प्रशिक्षण एवं सहयोग देते हुए उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय–सह–संगठक और स्वावलंबी भारत अभियान के प्रभारी श्री सतीश कुमार ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि जागरण मंच ने इस वर्ष जनवरी में स्वावलंबी भारत अभियान शुरू किया था जिसका उद्देश्य युवाओं को स्व–रोजगार एवं उद्यमिता की ओर प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि यह अभियान अभी 639 जिलों तक पहुंच चुका है और तीन लाख से ज्यादा युवाओं को स्व–रोजगार के लिए सहयोग दिया जा चुका है। उन्होंने बताया कि अभी तक 2000 से अधिक स्व–रोजगार सृजन सम्मेलन आयोजित किये जा चुके हैं।

उन्होंने कहा कि देश में तकरीबन 33 करोड़ युवा 15 से 35 वर्ष की आयु के हैं और प्रति माह नौ लाख युवाओं की दर से इसमें इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि देश में बुनियादी ढ़ांचे में सुधार हो रहा है और सरकार ने स्व–रोजगार के लिए कई योजनायें आरंभ की है, लेकिन इनका लाभ स्थानीय स्तर तक नहीं पहुंच पा रहा है। कुमार ने कहा कि स्वावलंबी भारत अभियान के अंतर्गत स्थानीय स्तर पर स्व–रोजगार सृजन सम्मेलन किये जा रहे हैं जिनमें स्थानीय जिला अधिकारियों, बैंक अधिकारियों और लाभार्थियों को आमंत्रित कर युवाओं को जानकारी दी जाती है और उन्हें स्व–रोजगार के लिए प्रेरित किया जाता है। उन्होंने कहा कि ये स्व रोजगार सृजन केंद्र युवाओं को सरकारी योजनाओं, बैंकों ऋण तथा अन्य जानकारी उपलब्ध करायेंगे। कुमार ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था सही दिशा में जा रही है लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। देश की अर्थव्यवस्था में 2030 तक 10 हजार अरब डालर की अर्थव्यवस्था बनने की क्षमता है लेकिन यह आर्थिक वृद्धि रोजगारोन्मुखी होनी चाहिए।

स्वदेशी जागरण मंच मानता है कि मौजूदा आर्थिक वृद्धि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) केंद्रित है जबकि इससे रोजगारोन्मुखी होना चाहिए। इसके लिए स्वदेशी जागरण मंच ने स्वावलंबी भारत अभियान आरंभ किया है जो उद्यमिता, स्वदेश प्रेम और सहकार पर आधारित है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि देश में रोजगार के नाम केवल राजनीति होती रही है। एक दल सत्ता पाने के लिए सरकार पर आरोप लगाता है और सत्ता में आने बाद दूसरा दल वही आरोप लगाता है। उन्होंने कहा कि रोजगार का मुद्दा राजनीति से परे है और बिना राजनीति के हल करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

https://www.navyugsandesh.com/swadeshi-jagran-manch-to-start-self-employment-generation-center-at-local-level/

संगठित और सशक्त भारत के लिए आत्मनिर्भर होना जरुरीः सतीश कुमार

स्वावलंबन भारत में इस समय की बड़ी मांग है। भारत देश कई वर्षो पहले भी स्वावलंबन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था और पूरे विश्व में उत्पादन का एक बड़ा भाग भारत से होकर जाता था, लेकिन कुछ कालखंडों में हमने यह परंपराएं भुला दी थी। उक्त विचार स्वदेशी जागरण मंच की तरफ से स्वावलंबी कार्यक्रम में अखिल भारतीय सह संगठक सतीश कुमार ने अमृतसर में व्यक्त किए। माधव विद्या निकेतन स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आवश्यकता देश के युवाओं को जागने की है। पूरे विश्व में कई देश ऐसे हैं जो पूरे विश्व के उत्पादन का बहुत बड़ा हिस्सा अपने देश से देते हैं। यदि भारत का युवा एकजुट होकर धैर्य और साहस के साथ अपने–अपने क्षेत्रों के अनुसार स्वरोजगार व उत्पादन में लग जाए तो पुनः हम विश्व के उत्पादन का बहुत बड़ा भाग हम भारत से दे सकते हैं। उन्हें विश्वास है कि देश का युवा अब इस कड़ी में आगे बढ़ने लगा है।

सतीश शर्मा ने बताया कि इस कार्यक्रम में महाविद्यालयीन छात्र छात्राओं के साथ साथ ग्राम पंचायतों और सेवा बस्तियों को जोड़ा जाएगा। उन्हें स्वावलंबी भारत अभियान के विषय में जानकारी प्रदान करके स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। स्वदेशी जागरण मंच ने युवाओं को बेरोजगारी की समस्या से निजात दिलाने और उन्हें स्वरोजगार के मकसद से उनकी रुचि के काम में दक्ष बनाने के लिए देश के सभी 773 जिलों में उद्यमिता विकास केंद्र स्थापित करने का भी फैसला किया है, जिस पर अमल प्रारंभ किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि मुझे बताने में प्रसन्नता हो रही है कि भारत का युवा अपनी मेहनत से बेरोजगारी जैसी समस्या पर विजय प्राप्त कर लेगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने जा रहा है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका युवाओं की रहेगी।

इंकम टैक्स के एडिशनल कमिश्नर रोहित मेहरा ने पर्यावरण और बेरोजगारी दोनों समस्याओं से निपटने के लिए अपने अनुभव को छात्र और छात्राओं के सम्मुख रखा। कालेज के विद्यार्थियों द्वारा अर्निंग स्टूडेंट काउंसिल (ईसीसी) का गठन भी किया गया। इस मौके पर स्वदेशी जागरण मंच के प्रांत प्रमुख विनय, महानगर संयोजक सीए अमित हांडा, महिला प्रमुख नेहा सेठी, महानगर सह संयोजक सीए भावेश महाजन आदि मौजूद थे।

https://m.jagran.com/punjab/amritsar-it-is-necessary-for-an-organized-and-strong-india-to-be-selfreliant-satish-kumar-22992825.html

नए युग का संकेत है एमआईआर, रूपे का मेल

स्विफ्ट अंतरराष्ट्रीय भुगतान प्रणाली से रूस के वियोग के अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि कई देश अब वैकल्पिक साधनों के विकास पर विचार कर रहे हैं। ग्यारह देश पहले ही रूसी एमआईआर भुगतान प्रणाली में शामिल हो चुके हैं, और 15 से अधिक ने अपनी तत्परता व्यक्त की है, उनमें से भारत भी है।

भारत और रूस पहले से ही अपने–अपने भुगतान तंत्र को एकीकृत करने के लिए बातचीत कर रहे हैं ताकि दोनों देशों के बीच व्यापार प्रभावित न हो। दोनों देशों को एक ऐसी वित्तीय प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है जो रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों से प्रभावित न हो।

जुलाई में, पहली बार, रूस से माल भारत में भूमि द्वारा भेजा गया था। नया व्यापार मार्ग, जो रूस से माल को मध्य एशिया और ईरान से गुजरने की अनुमति देता है, एक ही बार में दो समस्याओं का समाधान करता है – स्वेज नहर के माध्यम से जहाज द्वारा थकाऊ परिवहन और दुर्भावनापूर्ण प्रतिबंधों का डर।

भारत में रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव ने इस साल व्यापार की मात्रा में 40 प्रतिशत की वृद्धि की भविष्यवाणी की है। En+ Group और RUSAL के संस्थापक ओलेग

डेरिपस्का ने अपने हालिया साक्षात्कार में इसी तरह की स्थिति की घोषणा की। वह अगले दशक में दोनों देशों के बीच 120–150 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार की क्षमता का आकलन करते हैं।

रूसी और भारतीय भुगतान प्रणालियों की पारस्परिक मान्यता एक तार्किक कदम की तरह दिखती है। हालांकि रुपया–रूबल का व्यापार अतीत में सफल नहीं रहा है, लेकिन चल रहे भू–राजनीतिक बदलावों ने दोनों देशों को बाधाओं को हल करने के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया है।

द्विपक्षीय व्यापार भुगतान में राष्ट्रीय मुद्राओं के उपयोग का विस्तार करने के लिए देश पहले से ही बातचीत कर रहे हैं। यह व्यवस्था अनिवार्य रूप से दोनों देशों के बीच अमेरिकी डॉलर, यूरो या ब्रिटिश पाउंड के बजाय उनकी मुद्राओं में भुगतान के निपटान की सुविधा प्रदान करती है। "वर्तमान स्थिति और रूस के खिलाफ प्रतिबंधों को देखते हुए भुगतान प्रणाली अब रणनीतिक है। एसजेएम के राष्ट्रीय सह–संयोजक अश्विनी महाजन ने इंडिया नैरेटिव को बताया कि भुगतान प्रणाली में आत्मनिर्भर होना अत्यंत महत्वपूर्ण है और हमें उस दिशा में काम करने की जरूरत है।

महाजन ने कहा, "हमारी अपनी भुगतान प्रणाली है, हमें यह देखने की जरूरत है कि इसकी वैश्विक स्वीकृति कैसे बढ़ाई जाए," भारत को रूस के स्वदेशी एमआईआर के साथ अपनी भुगतान प्रणाली को एकीकृत करने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार, स्विफ्ट से रूस को अलग करने के अमेरिका के कदम ने वैश्विक व्यापार के डी–डॉलराइजेशन की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया है।

https://jantaserishta.com/business/mutual-recognition-of-mir-rupay-signals-new-era-in-intl-trade-1532953

चीन के आर्थिक चक्रव्यूह से बाहर निकला नेपाल

नेपाल सरकार ने चीन के आर्थिक चक्रव्यूह से बाहर निकलते हुए दो पावर प्रोजेक्ट भारत को सौंप दिए हैं। सेती नदी पर बनने वाले इन दोनों हाइड्रो प्रोजेक्ट का पहले चीन से एमओयू हुआ था। नेपाल भी श्रीलंका की तरह चीन की आर्थिक नीतियों को पहचान गया है। नेपाली प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए पश्चिम क्षेत्र में हिमालय से निकलने वाली सेती नदी पर प्रस्तावित सेती स्टोरेज हाइड्रो पावर और सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भारत की कम्पनी एनएचपीसी को दे दिया है। इस पावर प्रोजेक्ट पर पहले नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन सर्वे करके इसकी रिपोर्ट नेपाल सरकार को देगा।

जानकारी के मुताबिक भारत की मोदी सरकार चाहती है कि इस पावर प्रोजेक्ट से बनने वाली बिजली भी दोनों

देशों के काम आए। इससे नेपाल की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल की संसद को जब संबोधित किया था तो उन्होंने कहा था कि नेपाल के पानी की बिजली से दोनों देशों को फायदा हो सकता है, नेपाल की आर्थिक स्थिति में इससे बड़ा इजाफा हो सकता है। एनएचपीसी के प्रबंध निदेशक अभय कुमार सिंह के मुताबिक इन दोनों प्रोजेक्ट्स के मिलने से उनका संस्थान खासा उत्साहित है। भारत नेपाल मित्रता की ये एक महत्वपूर्ण कड़ी है। नेपाल इन्वेस्टमेंट बोर्ड के प्रमुख सुशील भट्टा के बताया कि ये 2.4 बिलियन डॉलर के खर्च वाली परियोजनाएं हैं, जिस पर भारत की एनएचपीसी काम करेगी।

https://panchjanya.com/2022/08/23/247675/world/nepal-gave-it-to-india-by-breaking-agreement-of-power-project-with-china/

खत्म हो रहे हैं गंगाजल को अमृत बनाने वाले मित्र जीवाणु

गंगा की सहायक नदियों अलकनंदा और भागीरथी की सेहत ठीक नहीं है। पानी को सेहतमंद बनाने वाले मित्र जीवाणु (माइक्रो इनवर्टब्रेट्स) प्रदूषण के कारण तेजी से विलुप्त हो रहे हैं। इस बात का खुलासा भारतीय वन्यजीव संस्थान के वैज्ञानिकों के शोध से हुआ है।

भागीरथी नदी में गोमुख से लेकर देवप्रयाग तक कई स्थान पर या तो मित्र जीवाणु पूरी तरह नदारद हैं या उनकी संख्या बेहद कम है। यही स्थिति अलकनंदा नदी में माणा से लेकर देवप्रयाग तक पाई गई है। वैज्ञानिकों के अनुसार दोनों नदियों में माइक्रो इनवर्टिब्रेट्स का कम पाया जाना इस बात का संकेत है कि यहां पानी की गुणवत्ता फिलहाल ठीक नहीं है। वैज्ञानिकों की टीम विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रही है।

ऑल वेदर रोड के साथ ही नदियों के किनारे बड़े पैमाने पर किए जा रहे विकास कार्यों का मलबा सीधे नदियों में डाला जा रहा है। नदियों के किनारे बसे शहरों के घरों से निकलने वाला गंदा पानी बगैर ट्रीटमेंट के नदियों में प्रवाहित किया जा रहा है। बैट्रियाफोस बैक्टीरिया की वजह से बनी रहती है गंगाजल की शुद्धतापूर्व में जलविज्ञानियों द्वारा किए गए शोध में यह बात सामने आई है कि गंगाजल में बैट्रियाफोस नामक बैक्टीरिया पाया जाता है जो गंगाजल

के अंदर रासायनिक क्रियाओं से उत्पन्न होने वाले अवांछनीय पदार्थ को खाता रहता है। इससे गंगाजल की शुद्धता बनी रहती है। वैज्ञानिकों की माने तो गंगाजल में गंधक की बहुत अधिक मात्रा पाए जाने से भी इसकी शुद्धता बनी रहती है और गंगाजल लंबे समय तक खराब नहीं होता है। महज एक किमी के बहाव में खुद ही गंदगी साफ कर लेती है गंगा वैज्ञानिक शोधों से यह बात भी सामने आई है कि देश की अन्य नदियां पंद्रह से लेकर बीस किलोमीटर के बहाव के बाद खुद को साफ कर पाती हैं और नदियों में पाई जाने वाली गंदगी नदियों की तलहटी में जमा हो जाता है। लेकिन, गंगा महज एक किलोमीटर के बहाव में खुद को साफ कर लेती है।

मित्र जीवाणुओं की संख्या कहीं कहीं 15 फीसदी से भी कम दोनों नदियों में मित्र जीवाणुओं का अध्ययन ईफेमेरोपटेरा, प्लेकोपटेरा, ट्राइकोपटेरा (ईपीटी) के मानकों पर किया गया। यदि किसी नदी के जल में ईपीटी इंडेक्स बीस फीसदी पाया जाता है तो इससे साबित होता है कि जल की गुणवत्ता ठीक है। यदि ईपीटी इंडेक्स तीस फीसदी से अधिक है तो इसका मतलब पानी की गुणवत्ता बहुत ही अच्छी है। लेकिन, दोनों नदियों में कई जगहों ईपीटी का इंडेक्स 15 फीसदी से भी कम पाया गया है जो चिंताजनक पहलू है।

वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर वीपी उनियाल की देखरेख में डॉ. निखिल सिंह व अन्य ने दोनों नदियों में अलग–अलग स्थानों पर मित्र जीवाणु (माइक्रो इनवर्टिब्रेट्स) की जांच की। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा (एनएमसीजी) के तहत वैज्ञानिकों ने अलकनंदा नदी में माणा (बदरीनाथ) से लेकर देवप्रयाग तक और भागीरथी नदी में गोमुख से लेकर देवप्रयाग तक अध्ययन किया। गंगाजल में है ऑक्सीजन सोखने की अद्भुत क्षमता वैज्ञानिकों की माने तो गंगाजल में अन्य नदियों के जल की तुलना में वातावरण से ऑक्सीजन सोखने की क्षमता बहुत अधिक होती है। दूसरी नदियों की तुलना में गंगा में गंदगी को हजम करने की क्षमता 20 गुना अधिक पाई जाती है। 20 गुना अधिक है गंगा में गंदगी हजम करने की क्षमता गंगा की सहायक नदियां भागीरथी, अलकनंदा, महाकाली, करनाली, कोसी, गंडक, सरयू, यमुना, सोन नदी और महानंदा नदियां गंगा की मुख्य सहायक नदियां हैं।

https://www.amarujala.com/dehradun/research-friendly-bacteria-that-make-gangajal-nectar-in-extinction-ganga?pageId=1

जॉनसन एंड जॉनसन बंद करेगी बेबी पाउडर की बिक्री

फार्मा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन 2023 में दुनिया भर में अपने टैल्क बेस्ड बेबी पाउडर की बिक्री बंद कर देगी। ड्रग मेकर ने कहा कि अमेरिका में चल रहे हजारों कंज्यूमर सेफ्टी केस के चलते प्रॉडक्ट की बिक्री बंद कर दी गई है। कंपनी ने कहा कि बेबी पाउडर पहले से ही दुनिया भर के देशों में बेचा जाता है। लेकिन अब इसे दुनिया भर में पोर्टफोलियो हटा दिया जाएगा।

2020 में कंपनी ने अपने पाउडर की बिक्री अमेरिका और कनाडा में बंद कर दी थी। इस पाउडर में एस्बेस्टस का एक प्रकार का हानिकारक फाइबर मिला था, जिसे कैंसर होने की वजह माना जा रहा था। इस मामले में कंपनी पर 35 हजार महिलाओं ने बच्चेदानी का कैंसर होने के आरोप में केस किए थे। इसकी वजह से अमेरिका में इसकी मांग काफी कम हो गई थी। इस पर कंपनी ने सेल घटने का बहाना बना 2020 में अमेरिका व कनाडा में बेबी पाउडर बेचना बंद कर दिया, लेकिन आज भी ब्रिटेन सहित दुनिया के बाकी देशों में इसे बेच रही है।

अमेरिका की एक कोर्ट ने इस पाउडर से ओवरीन कैंसर होने के कारण कंपनी पर 15 हजार करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। इस दौरान कोर्ट ने कहा था कि कंपनी ने बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया है। कंपनी पर आरोप था कि अपने प्रोडक्ट्स पर एस्बेस्टस मिलाती है। जज ने अपने आदेश में यह तक कह दिया था कि कंपनी ने जो अपराध किया है उसकी तुलना पैसों से नहीं की जा सकती। लेकिन जब अपराध बढ़ा है तो हर्जाना भी बड़ा होना चाहिए।

1894 से बेचा जा रहा जॉनसन बेबी पाउडर फैमिली फ्रेंडली होने की वजह से कंपनी का सिंबल प्रॉडक्ट बन गया था। 1999 से कंपनी की इंटरनल बेबी प्रॉडक्ट डिविजन इसका मार्केटिंग रिप्रेजेंटेशन करती थी। इसमें मुख्य रूप से बेबी पाउडर होता है, जैसा कि J&J के "#1 एसेट" के रूप में होता है। अब बेबी पाउडर को कंपनी ने अमेरिका में पूरी तरह से बंद कर दिया है। ❑❑

https://hindi.news18.com/news/business/delhi-mumbai-expressway-will-pass-through-these-cities-property-prices-may-increase-crs-4576443.html

स्वदेशी गतिविधियां

उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलन

(Entrepreneurship Encouragement Conferences)

सचित्र झलक

मदुरै, तमिलनाडु

दिल्ली

मैनपुरी, बृज

गंजम, ओडिशा

बदायूं, बृज

देहरादून, उत्तराखंड

दिल्ली

पीलीभीत, उ.प्र.

नोएड़ा

स्वदेशी पत्रिका डाक तिथि 15–16 सितंबर 2022
एल.पी.सी. दिल्ली, दिल्ली पी.एस.ओ., दिल्ली आर.एम.एस. दिल्ली–06
प्रकाशन तिथि : प्रत्येक माह 10 तारीख

डाक पंजी. संख्या **DL-SW/1/4074/2021-23**
रजि. आर.एन.आई. पंजी. संख्या **64697/96**

स्वदेशी गतिविधियां

उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलन

(Entrepreneurship Encouragement Conferences)

सचित्र झलक

असम

सिल्चर, असम

करनाल, हरियाणा

नोयड़ा, यूपी

मध्य भारत

बलेश्वर, उड़ीसा

मणिपुर

स्वाई माधोपुर, राजस्थान

हरिद्वार

अंबाला, हरियाणा

प्रकाशक व मुद्रक डॉ. अश्वनी महाजन द्वारा स्वदेशी जागरण समिति के लिए काम्पीटेंट बाईन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली से मुद्रित और धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, रामाकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022 से प्रकाशित, संपादकः अजेय भारती